भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 1991 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

1992 की संख्या 15

संघ सरकार

(अन्य स्वायत्त निकाय)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		(iii)
विहंगावलोकन		(v)
प्रस्तावना	1	1
लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2	3
संगठनात्मक ढांचा	3	4
वित्त एवं लेखे	4	4
निधियों का संचय	5	6
केन्द्रीय न्यासी बोर्ड तथा क्षेत्रीय सलाहकार समितियां	6	8
आवृतयोग्य प्रतिष्ठानों की पहचान	7	9
प्रतिष्ठानों का आवृतन	8	13
छूट प्राप्त प्रतिष्ठान	9	16
नियोक्ताओं से दातव्य	10	16
बकायों की वसूली	11	26
क्षतियों का उद्ग्रहण:गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठान	12	27
क्षतियों का उद्ग्रहण: छूट प्राप्त प्रतिष्ठान	13	30
अभियोजन	14	31
भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही	15	33
निधियों की बैंकिग तथा क्रेडिटिंग	16	34
मामलों/दावों का निपटान	17	42
विशेष आरक्षित निधि	18	47
दावा न किये गये निक्षेप लेखे	19	49
ब्याज उचंत लेखे	20	50
लेखों का वार्षिक विवरण	21	52

भविष्य निधि संचयनों का सांविधिक निधि से छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को अन्तरण	22	55
निरीक्षण	23	55
निर्माण कार्य	24	59
प्रतिष्ठान	25	62
आंतरिक लेखा परीक्षा	26	63
अन्य रुचिकर बातें	27	64
सारांश	28	65

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कार्य प्रणाली पर एक पुनरीक्षण को समाविष्ट करते हुए, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुतिकरण हेतु तैयार किया गया है।

पुनरीक्षण में उल्लिखित मुद्दे वे हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आये।

विहंगावलोकन

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन" पर एक पुनरीक्षण अंतर्विष्ट है। "कर्मचारी भविष्य निधि योजना" के संचालन के लिये 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान कानून बनाया गया था। जिसको "कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971" और "कर्मचारी निक्षेप से जुड़ी बीमा योजना 1976" को प्रारंभ करने हेतु क्रमशः 1971 और 1976 में संशोधित किया गया था।

(पैराग्राफ 1)

31 मार्च 1991 को, 204053 प्रतिष्ठान, 113.30 लाख अंशदाताओं के साथ योजनाओं के अन्तर्गत आवृत हुए थे। 43.77 लाख सदस्यों के साथ 2933 छूट प्राप्त प्रतिष्ठान थे।

(पैराग्राफ 1)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालयों और छः क्षेत्रीय कार्यालयों में 1985-86 से 1990-91 की अवधि के लिए अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा द्वारा अनेकों कमियां देखी गई थीं।

अपने क्षेत्र के अंतर्गत प्रारम्भिक अवस्था अवधि के पूरे होने पर इसके कर्मचारियों की संख्या के आधार पर, नये प्रतिष्ठान, जिन पर अधिनियम लागू होना बनता था, को शामिल करने के लिये भविष्य निधि निरीक्षक से प्रतिष्ठानों के क्षेत्र अथवा श्रेणी का सर्वेक्षण करना अपेक्षित था। प्रति निरीक्षक किये जाने वाले सर्वेक्षणों की संख्या के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये है तथा इसके परिणामस्वरूप नमूना जांच हुए क्षेत्र में किये गए सर्वेक्षणों की संख्या में अधिक विभिन्नताएं देखने में आई। दिल्ली क्षेत्र में 1990-91 के दौरान कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा चार क्षेत्रों में क्षेत्रीय आयुक्तों को सर्वेक्षण/जांच रिपोर्टें भेजने में विलम्ब भी देखने में आये थे।

(पैराग्राफ 7.1)

अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिष्ठान के आवृत किये जाने हेतु आदेश को जारी करने में विलम्ब एक से सात तथा इससे अधिक वर्षो के बीच था। आवृतन में विलम्ब का परिणाम प्रतिष्ठानों के उनके आवृतन से पहले छोड़ने वाले कर्मचारियों को लाभ से बंचित रखने में हो सकता था।

(पैराग्राफ 8.1)

संगठन, 31 मार्च 1991 को 17826 मामलों के संबंध में चूककर्ता प्रतिष्ठानों द्वारा अदा किए जाने वाले दातव्यों का निर्धारण नहीं कर सका था। कुछ मामले पॉच या इससे अधिक वर्षो से लम्बित थे।

(पैराग्राफ 10.3)

31 मार्च 1991 को गैर छूट प्राप्त तथा छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के क्रमशः कुल 96.03 करोड़ रु. तथा 131.98 करोड़ रु. के भविष्य निधि अंशदान बकाया में थे। इसके अतिरिक्त क्रमशः 3.27 करोड़ रु. के प्रशासनिक तथा निरीक्षण प्रभार, 10.88 करोड़ रु. के पारिवरिक पेंशन अंशदान, 3.50 करोड़ रु. की राशि के कर्मचारी निक्षेप से जुड़ी बीमा योजना के अंशदान तथा 1.31 करोड़ रु. के प्रशासनिक प्रभार भी 31 मार्च 1991 को बकाया थे।

(पैराग्राफ 10.4 (क)(ख)(ग)(घ)

चूककर्ता प्रतिष्ठानों से बकाया अंशदानों की वसूली हेतु 32,403 राजस्व वसूली प्रमाणपत्र, जिनमें 112.57 करोड़ रु. की राशि निहित थी, 31 मार्च 1991 को विभिन्न जिला राजस्व प्राधिकारियों के पास लम्बित थे। इन मामलों का वर्षवार ब्यौरा, संगठन के पास उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 1991 को परिवार पेंशन योजना तथा कर्मचारी निक्षेप से जुड़ी बीमा योजना के अन्तर्गत देयों के सम्बन्ध में 9.06 करोड़ रु. तथा 4.10 करोड़ रु. के राजस्व वसूली प्रमाण पत्र भी लम्बित थे।

(पैराग्राफ 11)

नमूना जांच किए गए चार क्षेत्रों अर्थात दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में देयों के भुगतान में चूक होने की स्थिति में क्षतियों के उद्ग्रहण में विलम्ब एक से पच्चीस तथा इससे अधिक वर्षो के बीच देखा गया था। 31 मार्च 1991 को प्रतिष्ठानों से 48.34 करोड़ रु. की कुल क्षतियां वसूली योग्य थीं।

(पैराग्राफ 12 (1)(2)

31 मार्च 1991 को न्यायालयों में 105732 अभियोजन मामले लम्बित थे। इनमें से 27473 मामले तीन वर्षो से अधिक समय से लम्बित थे।

(पैराग्राफ 14 (1)(2)

भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं पर प्राप्त किये गये क्रेडिट उसी दिन सम्बद्ध शाखाओं को भेजने अपेक्षित थे, जिन्हें, संगठन के निवेश लेखे में क्रेडिट करने हेतु, भारतीय स्टेट बैंक बम्बई को क्रेडिट, प्रतिदिन भेजना अपेक्षित होता है। निधियों के अन्तरण के 3429 मामलों की नमूना जॉच से निवेश लेखे को क्रेडिट देने में एक से पच्चीस दिनों के विलम्ब का पता चला जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल से जून 1989 की अवधि के दौरान संगठन को 19.99 लाख रु. की ब्याज की राशि की हानि हुई।

(पैराग्राफ 16.1)

बम्बई में भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय को, निवेश हेतु "निवेश लेखे" में शेष को प्रत्येक दिन भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई को अन्तरित करना अपेक्षित है। 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक बम्बई ने भारतीय रिजर्व बैंक को निधियों का प्रतिदिन अन्तरण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 1.17 करोड़ रु. के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 16.4)

छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के न्यासी बोर्डों को अंशदानों की प्राप्ति की तिथि से निवेश योग्य निधियों को दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्येक माह निवेशित करना अपेक्षित है। 49.67 करोड़ रु. की राशि 1990-91 के दौरान न्यासी बोर्डों के पास विभिन्न अवधियों के लिये गैर-निवेशित रहीं।

(पैराग्राफ 16.9)

31 मार्च 1991 को, 66365 भविष्य निधि दावे निपटान हेतु लंबित थे। केवल 51 से 65 प्रतिशत दावे 20 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर निपटाये गये थे। इसके अतिरिक्त 69977 पारिवारिक पेंशन दावे तथा कर्मचारी निक्षेप से जुड़ी बीमा योजना के अधीन भी 4003 दावे 31 मार्च 1991 को निपटान हेतु लंबित थे।

(पैराग्राफ 17.1)

कुछ परिस्थितियों में योजनाओं के अंशदाताओं को विशेष आरक्षित निधि में से भुगतान की गई 403.08 लाख रु. की एक राशि 31 मार्च 1991 को नियोजकों से वसूली हेतु शेष रही।

(पैराग्राफ 18)

31 मार्च 1991 को संगठन के पास 75.59 करोड़ रु. की एक राशि बिना दावा की हुई पड़ी थी।

(पैराग्राफ 19)

संगठन द्वारा अर्जित 31 मार्च 1991 को 2998.45 करोड़ रु. के ब्याज की एक बड़ी राशि "ब्याज उचन्त लेखा" में उपलब्ध है, जो कि वार्षिक लेखों को बन्द करते समय सदस्यों को वितरित नहीं की गई है।

(पैराग्राफ 20.1)

117.33 लाख वार्षिक लेखा विवरण, 1990-91 वर्ष के दौरान अंशदाताओं को जारी करने हेतु लम्बित थे जिनमें से 10.48 लाख लेखा विवरण चार वर्षों से अधिक से लंबित थे।

(पैराग्राफ 21.1)

स्वयं अपने भवन निर्माण हेतु संगठन द्वारा कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया था। 1985-86 से 1990-91 के दौरान संगठन ने अपने क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय कार्यालय हेतु किराये पर लिए गये भवनों के लिए किराये, उपकरों तथा करों पर 1257.55 लाख रु. की राशि व्यय की। किराये पर व्यय 1985-86 से 1990-91 के बीच 141.48 लाख रु. से 303.84 लाख रु. (115 प्रतिशत) बढ़ गया।

(पैराग्राफ 24.3)

कर्मचारियों के कल्याण के लिए योजनाओं के प्रबन्ध हेतु स्थापित संगठन के रूप में इसको अपनी सेवाओं की, विशेषतया दावों के परिशोधन, लेखों के अन्तरण, कर्मचारियों के लेखों में ब्याज क्रेडिट करने और लेखों के वार्षिक विवरण जारी करने के मामले में अपनी गुणवत्ता को सुधारना चाहिए। संगठन और इसके बैंकर के बीच अन्तरपृष्ठ को सरल एवं कारगर बनाया जाना चाहिए ताकि संगठन की निधियां इसके खाते में शीघ्रता से क्रेडिट हो जाएं और ब्याज गंवाये बिना निवेशित हो जायें । इसे दातव्यों के शीघ्र निर्धारण, बकायों की वसूली तथा प्रतिष्ठानों के आवृतन हेतु सर्वेक्षणों में तीव्रता के लिए अपनी प्रक्रिया को सुधारना चाहिए ताकि प्रतिष्ठान जो कि आवृत हों को, उन योजनाओं के कार्यक्षेत्र के अन्दर जो कि कर्मचारियों के संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा हेतु बनाई गई है लाया जाये।

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

प्रस्तावना

1. "कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम", औद्योगिक मजदूरों, समाज के कमजोर वर्गों के भविष्य के लिए व्यवस्था करने तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैय्या कराने, उनके मन में बचत की भावना बैठाने तथा उनकी वृद्धावस्था में तथा काम के दौरान मृत्यु की अवस्था में स्वयं उन्हें तथा उनके आश्रितों के लिए प्रबंध करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिये 1952 में बनाया गया था। इस अधिनियम के अनुपालन में, " कर्मचारी भविष्य निधि योजना" जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत में लागू करते हुए, 1 नवम्बर 1952 से प्रभावी बनाया गया था तथा इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (संगठन) की स्थापना की गई थी। अधिनियम 1971 तथा 1976 में क्रमशः 'कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971' तथा 'कर्मचारी निक्षेप से जुड़ी बीमा योजना 1976' जिन्हें संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जाना था, को प्रारंभ करने के लिए संशोधन किया गया था।

अधिनियम, उद्योगों तथा विशिष्ट उद्योगों/प्रतिष्ठानों की श्रेणियों में संलग्न अन्य प्रतिष्ठानों, जिन्होंने अपने अस्तित्व के तीन वर्ष पूरे कर लिए थे तथा 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर रखा था, पर लागू था। यह 50 व्यक्तियों से कम रोजगार वाली तथा बिजली की सहायता के बिना काम करने वाली सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता। अधिनियम के अंतर्गत, कोई प्रतिष्ठान सांविधिक भविष्य निधि से योजना के प्रावधानों से छूट मांग सकता है; छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के मामले में, प्रतिष्ठान में एक न्यासी बोर्ड, योजना को संचालित करता है। 31 मार्च 1991 को, योजनाओं के अंतर्गत 113.30 लाख अंशदाताओं सहित 204053 प्रतिष्ठान आवृत किये गये थे। 43.77 लाख सदस्यों के साथ 2933 छूट प्राप्त प्रतिष्ठान थे।

निम्न सारिणी, तीन योजनाओं की विषय वस्तु तथा कर्मचारियों, नियोक्ताओं और सरकार, प्रत्येक के संबंध में निर्धारित अंशदान को दर्शाती है:

	कर्मचारियों का अंशदान	नियोक्ताओं का अंशदान	सरकार का अंशदान
1. कर्मचारी भविष्य निधि योजना			
(i) अंशदान	मूल मजदूरी जमा मंहगाई भत्ते का 6 1/4 प्रतिशत से 10 प्रतिशत	मूल मजदूरी जमा महंगाई भत्ते का 6 1/4 प्रतिशत से 10 प्रतिशत	शून्य
(ii) प्रशासकीय प्रभार (गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठान)	शून्य	सितम्बर 1986 तक मूल मजदूरी जमा महंगाई भत्ते का 0.37 प्रतिशत, अक्तूबर 1986 से 0.65 प्रतिशत तक बढ़ाया गया	शून्य
(iii) निरीक्षण प्रभार (छूट प्राप्त प्रतिष्ठान)	शून्य	मूल मजदूरी जमा महंगाई भत्ते का 0.09 प्रतिशत	शून्य
2. कर्मचारी परिवार पेंशन योजना			
(i) अंशदान	मूल मजदूरी जमा महंगाई भत्ते का 1 1/6 प्रतिशत	मूल मजदूरी जमा महंगाई भत्ते का 1 1/6 प्रतिशत	मूल मजदूरी जमा महंगाई भत्ते का 1 1/6 प्रतिशत
	(उक्त दरों पर भविष्य निधि से परिवार पेंशन निधि को अंतरित)		
(ii) प्रशासकीय प्रभार	शून्य	शून्य	जैसा कि वर्षा-नुवर्ष निर्धारित किया गया
3. कर्मचारी निक्षेप से जुड़ी बीमा योजना			

(i) अंशदान	शून्य	मूल मजदूरी जमा महंगाई भत्ते का 0.5 प्रतिशत	मूल मजदूरी जमा महंगाई भत्ते का 0.25 प्रतिशत
(ii) प्रशासकीय प्रभार (गैर- छूट प्राप्त प्रतिष्ठान)	शून्य	मूल मजदूरी जमा मंहगाई भत्ता का 0.1 प्रतिशत अक्तूबर 1987 से 0.01 प्रतिशत तक घटाया गया।	कर्मचारियों के मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते का 0.05 प्रतिशत, अक्तूबर 1987 से 0.005 प्रति शत तक घटाया गया।
(iii) निरीक्षण प्रभार (छूट प्राप्त प्रतिष्ठान)	शून्य	मूल मजदूरी जमा महंगाई भत्ता का॰02 प्रतिशत	शून्य

2. लेखापरीक्षा का क्षेत्र

संगठन के लेखों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के साथ पठित कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 5 क (7) के अंतर्गत की जाती है। प्रमाणित लेखे, उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित; संसद के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वार्षिक रुप से सरकार को अग्रेषित किए जाते हैं।

1985-86 से 1990-91 तक योजनाओं के कार्यान्वयन के विशेष संदर्भ के साथ संगठन के अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित वर्तमान पुनरीक्षण, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय तथा छः क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे- बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में अप्रैल 1990 से मई 1991 तक किया गया था।

संगठन की कार्यप्रणाली की जांच, अप्रैल 1989 में लोक सभा में प्रस्तुत की गई अपनी अठहतरवीं रिपोर्ट (आठवीं लोक सभा) में अनुमान समिति द्वारा भी की गई थी।

3. संगठनात्मक ढांचा

तीनों योजनाएं अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं के संगठनों के प्रतिनिधियों से बने एक त्रिपक्षीय निकाय, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा संचालित थी। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समग्र प्रभारी था तथा योजनाओं के संचालन में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को सहायता प्रदान करता था। राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश दिल्ली में 31 मार्च 1991 को संगठन के 16 क्षेत्रीय कार्यालय थे, प्रत्येक का नेतृत्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जाता था। ये क्षेत्रीय कार्यालय सैंतालिस उप- क्षेत्रीय कार्यालयों में बांटा गया था। योजना में एक अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार, नियोक्ताओं, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा गैर सरकारी सदस्यों से बनी क्षेत्रीय समितियों के गठन का प्रावधान था।

4. वित्त एवं लेखे

संगठन की आय एवं व्यय का विश्लेषण नीचे दिया गया है। लेखे, वास्तविक आधार पर संकलित किए जाते हैं।

(लाख रुपयों में)

आय	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91
1. प्रशासनिक प्रभारों निरीक्षण प्रभारों और दाण्डिक क्षतियों के रुप में प्राप्ति	2300.55	3119.10	4616.05	5435.21	6098.03	7179.80
2. आधिक्य, प्रशासकीय निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज	411.18	284.85	126.61	111.19	279.50	210.26

3. सरकार और अन्य लेखों से प्राप्ति	860.56	345.63	(-)75.61	785.41	320.81	2210.86
4. विविध प्राप्तियां	91.10	80.61	125.15	143.23	144.18	86.74
कुल	3663.39	3830.19	4792.20	6475.04	6842.52	9687.66

व्यय	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91
1. कर्मचारी भविष्य निधि योजना पर किया गया व्यय	2564 55	3162.66	3857.71	4302.98	4241.58	5092.42
2. प्रशासन पर किया गया व्यय						
(क)परिवार पेंशन निधि योजना	264.83	323.82	406.83	408.80	1238.34	981.67
(ख)कर्मचारी निक्षेप से जुड़ी बीमा योजना	62.94	69.62	96.20	90.87	12.07	61.35
(ग)अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) योजना	4.10	3.07	4.05	3.03	2. 31	1.59
3. व्यय पर आय का आधिक्य	766.97	271.02	427.41	1669.36	1348.22	3550.63
कुल	3663.39	3830.19	4792.20	6475.04	6842.52	9687.66

5. निधियों का संचय

(क) परिवार पेंशन निधि अंशदान लेखा:

निम्न सारिणी, 1985-86 से 1990-91 के दौरान परिवार पेंशन निधि में प्राप्तियों तथा उससे भुगतानों को दर्शाती हे:

(करोड़ रु में)

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त अंशदान		ब्याज	अन्य प्राप्तियां	वर्ष के दौरान सकल प्राप्तियां	लाभों के रूप में अंशदाताओं को किए गये भुगतान	अन्य भुगतान	कुल भुगतान	अंत: शेष
		कर्मचारी तथा नियोक्ता	सरकार							
1	2	3(क)	3(ख)	4	5	6	7	8	9	10
1985-86	1219.33	153.88	86.66	105.48	0.67	346.69	18.01	1.57	19.58	1546.44
1986-87	1546.44	183.20	146.33	124.87	0.59	454.99	22.75	1.11	23.86	1977.57
1987-88	1977.57	205.10	70.50	160.77	2.57	438.94	34.42	1.61	36.03	2380.48
1988-89	2380.48	244.41	136.70	215.55	2.41	599.07	48.32	2.48	50.80	2928.75
1989-90	2928.75	278.81	146.63	262.69	2.10	690.23	71.00	1.71	72.71	3546.27
1990-91	3546.27	316.83	140.33	317.89	2.09	777.14	99.03	1.08	100.11	4223.30

परिवार पेंशन योजना के अंशदान लेखे में संचय, 1985-86 के प्रारंभ में 1219.33 करोड़ रुपये से बढ़कर 1990-91 के अंत में 4223.30 करोड़ रुपये हो गया। छः वर्षों की अवधि के भीतर निधि में वृद्धि 246 प्रतिशत थी।

(ख) कर्मचारी निक्षेप से जुड़ी बीमा योजना

(i) अंशदान लेखा: कर्मचारी निक्षेप से जुड़ा बीमा अंशदान का संचित बकाया 1985-86 के प्रारंभ में 264.76 करोड़ रुपये से मार्च 1991 तक 281 प्रतिशत बढ़कर 744.66 करोड़ रुपये हो गया,

जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त अंशदान		ब्याज	अन्य	कुल	अंशदाताओं को भुगतान	अन्य भुगतान	कुल भुगतान	अंत: शेष	कुल भुगतानों से कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता
		नियोक्ता	सरकार		प्राप्तियां	प्राप्तियां					
1	2	3(क)	3(ख)	4	5	6	7	8	9	10	11
1985-86	264.76	28.60	17.99	27.92	0.22	74.73	11.93	0.76	12.69	326.80	589
1986-87	326.80	32.03	16.00	25.82	0.15	74.00	11.30	0.54	11.84	388.96	625
1987-88	388.96	33.83	17.00	31.98	0.11	82.92	11.32	0.93	12.25	459.63	677
1988-89	459.63	36.18	16.86	41.40	0.13	94.57	12.25	0.17	12.42	541.78	761
1989-90	541.78	37.92	20.88	48.72	0.33	107.85	10.87	0.15	11.02	638.61	979
1990-91	638.61	42.24	18.97	57.19	0.19	118.59	12.38	0.16	12.54	744.66	946

1985-86 से 1990-91 के दौरान, जबकि कुल वार्षिक भुगतान 12 करोड़ रुपये के लगभग रहे केवल ब्याज के लिए प्राप्तियों की राशि 1985-86 में 27.92 करोड़ रुपये से बढ़कर 1990-91 के दौरान 57.19 करोड़ रुपये हो गई।

(ii) **प्रशासन लेखा:** कर्मचारी निक्षेप से जुड़ी बीमा योजना के प्रशासन लेखे में संचित बकाया 1985-86 तथा 1990-91 के बीच 57.58 करोड़ रुपये से 190 प्रतिशत तक बढ़कर 166.52 करोड़ रुपये हो गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त प्रशासकीय/ निरीक्षण प्रभार		ब्याज	अन्य प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रशासन पर व्यय	अंतः शेष	कुल भुगतान से कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता
		नियोक्ता	सरकार						
1	2	3 (क)	3 (ख)	4	5	6	7	8	9
1985-86	57.58	6.91	5.24	7.81	0.18	20.14	1.18	76.54	1707
1986-87	76.54	7.72	3.74	6.73	0.26	18.45	1.12	93.87	1647
1987-88	93.87	7.95	2.00	4.98	0.32	15.25	1.24	107.88	1230
1988-89	107.88	4.61	--	11.83	0.14	16.58	1.59	122.87	1043
1989-90	122.87	3.56	1.72	23.85	0.09	29.22	0.66	151.43	4427
1990-91	151.43	3.12	2.93	9.71	0.05	15.81	0.72	166.52	2196

1990-91 के दौरान कुल प्राप्तियां, व्यय, का 2196 प्रतिशत थी।

तथापि, उपरोक्त विश्लेषण से पता चलेगा कि योजनाओं के सरकारी सहायता की आवश्यकता तथा सीमा के पुनरीक्षण का मामला बनता है।

6. केन्द्रीय न्यासी बोर्ड तथा क्षेत्रीय सलाहकार समितियाँ

6.1 केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (के.न्या.बो.)में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के पांच प्रतिनिधियों राज्य सरकार के पन्द्रह प्रतिनिधियों, नियोक्ता संगठनों के छः प्रतिनिधियों तथा कर्मचारी संगठनों के छः प्रतिनिधियों सहित 33 सदस्य होते हैं। के.न्या.बो. से संगठन के कारबार को सम्पादित करने, सभी मामलों पर नीति निर्देश देने के लिए तीन योजनाओं की कार्यप्रणाली की संवीक्षा करना तथा संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में दिशानिर्देश तथा लक्ष्य निर्धारित करने हेतु वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करना अपेक्षित था।

1985-86 से 1990-91 के दौरान आयोजित के.न्या.बो. की बैठकों में सहभागिता की संवीक्षा ने दर्शाया कि एक भी बैठक में सभी सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे। 1985-91 के दौरान आयोजित तीन बैठकों में जबकि 27 या इससे अधिक सदस्य उपस्थित हुए थे तथा सात बैठकों में 20 से 25 के बीच सदस्य उपस्थित हुए थे, शेष 8 बैठकों में 20 सदस्यों से भी कम उपस्थित हुए थे। मंत्रालय के अनुसार (अप्रैल 1992) कुछ सदस्य पूर्वव्यस्थता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे तथा कुछ सदस्यों ने के.न्या.बो. अध्यक्ष को अनुपस्थिति के अवकाश हेतु निवेदन किया था जो कि उसके द्वारा अनुमत कर दिया गया था।

6.2 क्षेत्रीय समितियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान दो बार बैठकें आयोजित करनी आवश्यक थी। यह पता चला था कि 1986-87 तथा 1990-91 के दौरान दिल्ली में तथा पंजाब में 1988-89 तथा 1990-91 के दौरान केवल एक बैठक आयोजित की गई थी तथा 1990-91 के दौरान त्रिपुरा में कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

बहुत बड़ी संख्या में सदस्य भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। बैठकें आयोजित करने के लिए 15 दिनों की निर्धारित सूचना भी नहीं दी गई थी। "कार्यवृत पुस्तिका" जो कि प्रत्येक बैठक के कार्यवृत के अभिलेखन हेतु एक स्थाई अभिलेख था, दिल्ली क्षेत्र में अनुरक्षित नहीं की गई थी। अप्रैल 1992 में मंत्रालय ने बताया कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक वर्ष विधान के अंतर्गत अपेक्षित बैठकों की न्यूनतम संख्या आयोजित हो तथा कार्यवृत पुस्तिकाएं अनुरक्षित की जाएं।

7.आवृतयोग्य प्रतिष्ठानों की पहचान

7.1 प्रत्येक प्रतिष्ठान,जोकि अधिनियम की प्रयुक्ति को आकृष्ट करता था, को नियोजन संख्या अथवा आरंभिक अवधि की समाप्ति के आधार पर ठीक आवृति की तिथि से अपने क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के संबंध में, भविष्य निधि निरीक्षक/प्रवर्तन अधिकारी को प्रतिष्ठानों के क्षेत्र अथवा श्रेणी का विस्तारपूर्वक सर्वेक्षण करना तथा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उसे दी गई अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना की सहायता से आवृत करने योग्य प्रतिष्ठानों की एक सूची तैयार करना अपेक्षित था।

50 अथवा अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले प्रतिष्ठान तथा अधिसूचित उद्योग अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी के अधीन आने वाले लेकिन जिन्होंने अपने स्थापित होने से तीन वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी नहीं की है, की प्रविष्टी प्रारंम्भिक रजिस्टर में की जाती है। ऐसे प्रतिष्ठानों का उनकी

प्रारंभिक अवस्था से तीन वर्षों की समाप्ति पर तुरंत दौरा किया जाना चाहिए तथा अधिनियम लागू करने के उद्देश्य से जांच की जानी चाहिए। यदि कर्मचारियों की संख्या 49 से अधिक है तथा अन्य शर्तें पूरी होती हों तो इनको, क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त को आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करके अधिनयम क्षेत्र के अधीन लाना होता है। 49 अथवा कम संख्या के कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान भविष्य में उनके मामलों में अधिनियम लागू होने पर निगरानी रखने हेतू विशेष "सीमान्त प्रतिष्ठान रजिस्टर" में लिए जाते हैं। जब कि 20 से 49 के बीच व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के मामलों में प्रारंम्भिक अवस्था अवधि पांच वर्ष थी।

सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई सूचना के आधार पर निरीक्षक तथा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा, आवृत प्रतिष्ठानों, प्रारंभिक तथा सीमान्त प्रतिष्ठानों के तीन अलग अलग रजिस्टर अनुरक्षित किए जाने थे।

संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 1985-86 से 1990-91 की अवधि के दौरान संगठन के निरीक्षण कर्मचारियों द्वारा किए गए अनावृत प्रतिष्ठानों के क्षेत्रवार तथा वर्षवार सर्वेक्षण/निरीक्षण निम्नानुसार थे:

क्षेत्र	सर्वेक्षण/निरीक्षणों की संख्या					
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1. आंध्रप्रदेश	1476	2761	1054	1144	652	75
2. उत्तर पूर्व	164	213	341	368	423	382
3. बिहार	276	411	1074	1278	1007	1345
4. दिल्ली	278	997	1046	920	365	शून्य
5. गुजरात	3282	3258	3415	1510	2495	3912
6. हरियाणा	546	678	764	694	967	1020
7. कर्नाटक	500	902	583	431	624	275
8. केरल	266	751	199	574	546	463
9. मध्य प्रदेश	94	305	107	309	294	253

10. महाराष्ट्र	7974	439	1075	2293	2490	1182
11. उड़ीसा	89	182	353	319	240	216
12. पंजाब	477	552	763	922	2600	329
13. राजस्थान	572	683	635	684	689	661
14. तमिलनाडु	1628	2274	3304	2948	2528	5323
15. उत्तर प्रदेश	266	4653	1384	599	511	972
16पश्चिमबंगाल	1441	1733	2105	3325	2667	2716
जोड़	19329	20792	18202	18318	19098	19124

जबकि, सभी क्षेत्रों के सर्वेक्षणों/निरीक्षणों की कुल संख्या 1985-86 से 1990-91 के दौरान केवल सीमान्त रुप से अस्थिर थी कुछ क्षेत्रों, अर्थात 1988-89 तथा 1990-91 के बीच दिल्ली, 1987-88 तथा 1988-89 के बीच गुजरात, 1985-86 तथा 1986-87 के बीच महाराष्ट्र और 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के बीच उत्तर प्रदेश के संबंध में मुख्य विभिन्नताएं पाई गई थी। 1985-86 तथा 1990-91 के बीच आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में सर्वेक्षणों/निरीक्षणों की संख्या कम हो गई थी। दिल्ली क्षेत्र में 1990-91 के दौरान कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जबकि केन्द्रीय कार्यालय के अनुसार, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश क्षेत्र में निरीक्षणों की संख्या क्रमशः 4653 तथा 1384 थी, क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेख यह दशति थे कि केवल 456 तथा 479 निरीक्षण किए गए थे। संगठन ने भारी अन्तरों के कारण सूचित नहीं किये।

7.2 प्रति मास प्रति निरीक्षक, निरीक्षणों की संख्या बिहार क्षेत्र में, 1985-86 में 0.9 से 1988-89 में 3.80 के बीच थी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 1985-86 में 0.39 से 1989-90 में 1.10 के बीच थी। दिल्ली में संबंधित अभिलेखों के अभाव में निरीक्षणों की बारम्बारता का पता नहीं लगाया जा सका था।

7.3 क्षेत्रीय कार्यालयों को सर्वेक्षण अन्वेषण रिपोर्टें 7 दिनों के अंदर भेजी जानी आवश्यक थी। रिपोर्टें भेजे जाने में विलम्ब नमूना जांच किए गए 16 मामलों में, बिहार में 30 से 90 दिनों के बीच, महाराष्ट्र में अधिकतर मामलों में 15 से 20 दिन, तामिलनाडू में नमूना जांच हुए 19 मामलों में 15 से 203 दिनों के बीच तथा उत्तर प्रदेश में नमूना जांच किए गए 2474 मामलों में यह 90 दिन तक

तथा इससे अधिक दिनों का था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 1992) कि तमिलनाडु में विलम्ब, प्रवर्तन अधिकारी के नियंत्रण के बाहर था तथा बिहार में विलम्ब को अधिकतम 30 दिन तक कम कर दिया गया था।

7.4 दिल्ली तथा महाराष्ट्र में निरीक्षकों द्वारा तैयार किए जाने वाले अपेक्षित प्रारंभिक सीमान्त तथा आवर्तित प्रतिष्ठानों के रजिस्टर तैयार नहीं किए गए थे। बिहार तथा पंजाब में ये रजिस्टर लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में तैयार किए गए रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में नहीं थे तथा इनमें संस्थान की स्थापना की तिथि, कर्मचारियों की संख्या इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं नहीं थीं। नमूना जांच किए गए सभी क्षेत्रों में रजिस्टरों का निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 1992) कि बिहार तथा पंजाब में ये रजिस्टर अनुरक्षित किये गये थे तथा समय-समय पर पुनरीक्षित किये गये थे।

7.5 सीमान्त प्रतिष्ठानों का, उनके समय पर आवृत करने हेतु रोजगार संख्या की जांच करने के लिए निरीक्षण करना आवश्यक था। दिल्ली क्षेत्र में नमूना जांच किए गए 74 मामलों में पता चला था कि ऐसे प्रतिष्ठानों का 2 से 20 वर्षों से तथा इससे अधिक अवधि से निरीक्षण नहीं किया गया था, यहां तक 29 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण ही नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारियों ने 1963 से 1989 के बीच किए गए प्रथम निरीक्षण के पश्चात् 462 सीमान्त प्रतिष्ठानों का पुनः निरीक्षण (मार्च 1992) नहीं किया था।

प्रारंभिक प्रतिष्ठान रजिस्टर में दर्ज 605 प्रतिष्ठानों में से 117 ने, अपनी प्रारंभिक अवधि पूर्ण कर ली थी तथा अधिनियम के अंतर्गत आवर्तन के लिए उनमें आवश्यक कर्मचारियों की संख्या थी परन्तु उन्हें आवृत नहीं किया गया था। निरीक्षकों द्वारा अनुरक्षित आवृतित, सीमान्त तथा प्रारंभिक प्रतिष्ठानों के रजिस्टर में प्रविष्टियों की, क्षेत्रीय आयुक्त के कार्यालय में अनुरक्षित समरुप रजिस्टरों में प्रविष्टियों के साथ प्रति जांच नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने अप्रैल 1992 में बताया कि उत्तर प्रदेश में 117 प्रतिष्ठान देय तिथि से आवृत किए गए हैं।

संगठन को सभी क्षेत्रों में सीमांत तथा प्रारम्भिक प्रतिष्ठान के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समय पर निरीक्षण करने के द्वारा सभी आवृत योग्य प्रतिष्ठान बिना किसी विलम्ब के योजनाओं के क्षेत्र में लाए गये हैं।

8. प्रतिष्ठानों का आवृतन

8.1 आवृतन में विलम्ब: आवृतन के लिए आदेश जारी करने में विलम्ब के मामले भी ध्यान में आये। दिल्ली में नमूना जांच किये गए 186 मामलों में 111 मामलों में एक साल से सात साल तथा अधिक तथा पंजाब में नमूना जांच किये गए 33 मामलों में से 28 में एक वर्ष के अधिक के इस प्रकार के विलम्ब थे। तमिलनाडु में नमूना जांच किये गए 23 मामलों में से 19 मे चार से सात वर्ष तक तथा अधिक का विलम्ब देखा गया। महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में क्रमशः 2476 तथा 2277 मामलों में से 368 तथा 322 में दो से तीन वर्ष तक इस प्रकार के विलंब रहे। ऐसे विलम्बों को दूर करने के लिए कोई उपचारी कदम नहीं उठाये गये थे।

मंत्रालय ने अप्रैल 1992 में बताया, कि विस्तार में विलम्ब के परिणामस्वरुप आवृतन पूर्व प्रतिष्ठानों को छोडने वाले कर्मचारियों को लाभों से बंचित नहीं होना पड़ा। प्रतिष्ठान को सभी कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता के हिस्से का अंशदान जबसे वे सदस्यता के लिए योग्य पाये गये थे, देना अपेक्षित था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उन सभी कर्मचारियों, जो कि प्रतिष्ठानों को छोड़ चुके थे को, ढूढंना तथा उन्हें उनकी देयों का भुगतान करना सम्भव नहीं होगा।

8.2 स्वैच्छिक आवृतन: एक प्रतिष्ठान, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य रुप से आवृतन योग्य नहीं है को, नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बहुमत से, पारस्परिक सहमति से सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके स्वैच्छिक तौर पर आवृत किया जा सकता है। 31 मार्च 1990 को 1878 प्रतिष्ठान थे जिन्हें 1985-86 से 1989-90 में दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक तौर पर आवृत किया गया था परन्तु सरकारी गजट में अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई थीं।

वर्ष	दिल्ली	महाराष्ट्र	पंजाब	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश
1986-87 से पूर्व	71	उपलब्ध नहीं	7	उपलब्ध नहीं	7
1986-87	39	तदैव	1	199	6
1987-88	52	7	7	376	1

1988-89	125	41	3	342	2
1989-90	90	215	5	282	-
जोड़	377	263	23*	1199	16

* (उप क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर से सम्बन्धित सूचना सम्मिलित नहीं है)

ये मामले मुख्य रुप से क्षेत्रीय निरीक्षकों से रिपोर्टों के अभाव के कारण लम्बित थे।

क्योंकि गजट अधिसूचना के जारी होने तक इस प्रकार के प्रतिष्ठानों पर अधिनियम के प्रावधान वैधानिक रुप से लागू नहीं होते थे, संगठन इस प्रकार के प्रतिष्ठानों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगा सका। केवल दिल्ली क्षेत्र में ही नमूना जांच किये गए 40 मामलों में से, 37 में अंशदान वसूल नहीं किये गये थे।

मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया (अप्रैल 1992):-

- 1988 के संशोधन से पूर्व स्वैच्छिक आवृतन केन्द्रीय सरकार के पास था तथा इससे भी विलम्ब हुआ था: प्रावधानों में संशोधन से, अधिसूचनाएं जारी करने का अधिकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को दे दिया गया है।

- सभी लम्बित मामलों में अधिसूचनाएं शीघ्र जारी करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

8.3 अनन्तिम आवृतन: जहां पर प्रतिष्ठानों से सूचनाओं/ अभिलेखों के अभाव में आवृतन के अंतिम आंकड़ों के निर्णय नहीं लिये जा सके, आवृतन योग्य प्रतिष्ठानों को आवश्यक सूचनाओं/ अभिलेखों के सत्यापन की शर्तों के अध्याधीन अनंतिम रुप से आवृत किया गया था। 31 मार्च 1990 को नमूना जांच किये गए छः क्षेत्रीय कार्यालयों में 9060 ऐसे प्रतिष्ठान थे जिनके लिए अंतिम आवृतन की तारीख का निर्णय नहीं लिया गया था। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु क्षेत्रों के 6960 प्रतिष्ठानों का वर्षवार ब्यौरा निम्न अनुसार था:-

वर्ष	प्रतिष्ठानों की संख्या			
	दिल्ली	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	तमिलनाडु
1985-86	213	70	198	उपलब्ध नहीं
1986-87	77	226	398	77
1987-88	114	302	336	22
1988-89	1284	657	375	9
1989-90	679	1203	640	80
जोड़	2367	2458	1947	188

पंजाब (1317) तथा बिहार (783) के प्रतिष्ठानों का वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

क्षेत्रों ने आवरण की तारीख को अन्तिम रुप देने में विलम्ब को निरीक्षकों द्वारा रिपोर्टों के प्रस्तुत न करने पर आरोपित किया। पंजाब में यह विशेष कर दूरवर्ती अशांत सीमावर्ती क्षेत्रों में पुराने अभिलेखों तथा नियोक्ताओं की अनुपलब्धता के कारण हुआ था। दिल्ली में 100 मामलों की नमूना जांच ने दर्शाया कि 1968-69 से सात मामलों में आवृतन की अंतिम तारीख का निर्णय नहीं किया गया था। तमिलनाडु में 188 मामलों में से 33 मामले हथकरघा सहकारी प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित थे, जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के कारण संगठन द्वारा अंतिम आवृतन के लिए जोर नहीं डाला गया था, शेष मामलों में निरीक्षकों से रिपोर्ट प्रतीक्षित थीं।

मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया (अप्रैल 1992):-

- अनन्तिम आवृत किए गए प्रतिष्ठानों के आवृतन को अन्तिम रुप देने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के निष्पादन का प्रबोधन अब किया जा रहा है।

- तमिलनाडु में विलम्ब कुछ सीमा तक कर्मचारियों के असहयोगपूर्ण रवैये तथा पुराने अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण था।

- प्रवर्तन अधिकारियों को, प्रतिष्ठानों को शीघ्रतिशीघ्र अन्तिम रुप से आवृत करने के लिए आयकर, बिक्री कर अधिकारियों इत्यादि से विवरण एकत्र करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

9. छूट प्राप्त प्रतिष्ठान

संगठन ने, प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर, विशिष्ट नियमों व शर्तों तथा ऐसे पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये के अध्याधीन छूट प्रदान की। एक बार दी गई छूट किसी भी निर्धारित शर्तों के उल्लंघन होने पर समाप्त हो जानी थी तथा ऐसे निरस्तिकरण पर, प्रतिष्ठान को संवैधानिक योजना का पालन करना अपेक्षित होगा।

छूट प्राप्त करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, निपटाये गये आवेदन पत्रों की संख्या, वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक लम्बित आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में सूचना संगठन द्वारा भेजी नहीं गई थी (अप्रैल 1992)। नमूना जांच किये गए छः क्षेत्रों में से तीन के संबंध में उपलब्ध सूचना ने दर्शाया कि 31 मार्च 1990 को 100 आवेदन पत्र बकाया थेः पंजाब (13) महाराष्ट्र (33) तथा उत्तर प्रदेश (54) । शेष लम्बित आवेदन पत्रों के कारणों की सूचना नहीं दी गई थी (अप्रैल 1992)। छूट/रियायत देने में विलम्ब, पंजाब में (नमूना जांच किये गए 3 मामले) 6 महीनों से 24 महीने तथा महाराष्ट्र में (नमूना जांच किये गए 5 मामलों में) 37 महीनों से 72 महीनों का था। संगठन ने विलम्ब केाप्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों में कमियों पर आरोपित किया।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 1992) कि छूट अनुमत करने में विलम्ब का कारण था:-

- प्रतिष्ठानों द्वारा बनाए जाने वाले आवश्यक कुछ नियमों को बनाने में विलम्ब होने तथा कुछ मामलों में आयकर प्राधिकारियों से परामर्श के साथ बनाए गए ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत निर्धारित नियमों के विपरीत पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने दोनों को स्वीकार्य नियमों को तैयार करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड के साथ मामला उठाया है।

10. नियोक्ताओं से दातव्य:

10.1 गैर-छूट प्राप्त तथा छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं से संगठन को प्रत्येक माह अंशदान के सम्बन्ध में दातव्य निरीक्षण प्रभार, प्रशासनिक प्रभार इत्यादि प्रेषित करने अपेक्षित थे। प्रत्येक नियोक्ता को, कर्मचारियों तथा अभिदाताओं की कुल संख्या, मजदूरी की कुल राशि विभिन्न निधियों का सदस्यों का हिस्सा तथा नियोक्ता का हिस्सा, प्रशासनिक प्रभार, निरीक्षण प्रभार तथा पारिवारिक पेंशन तथा बीमा निधि के लिए दातव्य के साथ किये गए प्रेषण के पूरे विवरण के साथ मासिक विवरण भेजना अपेक्षित था। विवरण के साथ भारतीय स्टेट बैंक में किये गये प्रेषणों के समर्थन में चालान की

तीन प्रतियां भेजी जानी थी।

10.2 मांग-संग्रहण- बकाया रजिस्टर: देय राशियों की वसूली पर निगरानी रखने के लिए मांग-संग्रहण बकाया रजिस्टर (मा.सं.ब. रजिस्टर) के नाम से जाना जाने वाला रजिस्टर संगठन द्वारा बनाया जाना अपेक्षित था। यह रजिस्टर प्रत्येक प्रतिष्ठान की " प्राप्ति" लेजर का काम करेगा तथा इसमें प्रविष्टी विवरण में दिखाए गये दात्तव्यों के आधार पर तथा चालान की तिहरी प्रतियों के सत्यापन के बाद की जाएगी।

मां. सं. ब. रजिस्टर में प्रविष्टियां, चालान की तीनों प्रतियों की प्राप्ति के तुरन्त बाद की जानी थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चालानों में दशयि गए प्रेषण सम्बधित रोकड़ बही में क्रैडिट की गई राशि से मेल खाते हैं, जैसा कि प्रत्येक लेखे में मासिक प्राप्ति शैडयूलों के माध्यम से रोकड़ अनुभाग द्वारा सूचित किया गया था। मां.सं.ब. रजिस्टर की प्रविष्टियों को युग्मित किया जाना था तथा दशयि गए उपयुक्त कालमों में क्रेड़िट मद संख्या को मां. सं. ब. रजिस्टर में लिया जाना था। विसंगतियां, यदि कोई हो,को रोकड़ अनुभाग के ध्यान में लाना था।

दिल्ली क्षेत्र में, 1985-90 के दौरान, नियोक्ताओं से प्राप्त मासिक विवरणियों का सत्यापन नहीं किया गया था; तदानुसार नये अभिदाताओं तथा वे जो योजना के अधीन अभिदाता नहीं रहे के संदर्भ में प्रत्येक लेखे में देय राशि की सत्यता तथा नियोक्ताओं द्वारा प्रेषित धनराशि एवं विवरणी में दर्शाई गई सूचना को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

दिल्ली क्षेत्र में मां.सं.ब. रजिस्टर को निर्धारित प्रपत्र में तैयार नहीं किया गया था तथा उत्तर प्रदेश और पंजाब क्षेत्र में उचित रुप से तैयार नहीं किया गया था। सूचना के कालम जैसे तारीख जिसको दाण्डिक क्षति विवरण तैयार किया गया था तथा दाण्डिक क्षति कक्ष को भेजा गया था, क्षति उगाही आदेश संख्या तथा अवधि, क्षतियों के बकाया शेष, जो वसूल किये जाने थे, इत्यादि, उपलब्ध नहीं थे।

कुछ मामलों में, कोई भी प्रविष्टी नहीं की गई थी, उत्तर प्रदेश में कुछ मामलों में 1981-82 से प्रविष्टियां अपूर्ण थी। पंजाब क्षेत्र में, देय राशि तथा प्रेषण की तिथियों के सम्बन्ध में प्रविष्टियां दर्ज नहीं की गई थीं। प्रविष्टियां प्राप्तियों की अनुसूचि के साथ मिलाई नहीं जा रही थीं (उत्तर प्रदेश क्षेत्र में छुटपुट मामलों को छोड़कर) । परिणामस्वरुप, नियोक्ता द्वारा प्रेषित और संगठन के सम्बन्धित लेखों में वास्तव में क्रेडिट किए गए देय की परिशुद्धता का सुनिश्चय नहीं किया गया था।

मांग-संग्रहण- बकाया रजिस्टर, वसूलियों और देय राशियों के लेखांकन पर सतर्कता बर्तने के लिए, एक मूल और अनिवार्य नियंत्रण अभिलेख है । संगठन को सभी कार्यालयों में मां.सं.ब. रजिस्टरों के नियमित और सुनियोजित पुनरीक्षण का सुनिश्चय करना चाहिए और ये निर्धारित फार्म में उचित ढंग से अनुरक्षित किए गए है और निर्धारित कालम सही भरे गए हैं,का सुनिश्चय करना चाहिए।

10.3 नियोक्ताओं से देयताओं का निर्धारण

अधिनियम संगठन को अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के अन्तर्गत किसी नियोक्ता से देय राशि सुनिश्चित करने के लिए और इस उद्देश्य के लिए ऐसी पूछताछ जैसी कि आवश्यक समझी जाए करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। मामलों की संख्या, जिनमें देयताएं निर्धारण करने के लिए लम्बित थीं, 31 मार्च 1986 को 5323 मामलों से 31 मार्च 1991 को 335 प्रतिशत तक बढ़ कर 17826 हो गई ।

लम्बित मामलों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि कुछ मामले पांच वर्षो और अधिक से लम्बित थे जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

अनिर्णय की अवधि	मामलों की संख्या	कुल से प्रतिशतता
एक माह से कम	1346	7
1से 3माह	5097	29
3से 6माह	5229	29
6माह से 1वर्ष	3576	20
1वर्ष से 2वर्ष	1684	10
3वर्ष से 5वर्ष	561	3
5वर्ष से अधिक	333	2

देयताओं के अनिर्धारण के लिए कारणों को नहीं बताया गया था। बिहार में 31 मार्च 1991 को 252 मामले एक से तीन वर्ष के लिए, 160 मामले तीन से पांच वर्ष और 150 मामले पांच वर्ष से अधिक से लम्बित थे। महाराष्ट्र में 422 मामले तीन वर्ष से अधिक से लंबित थे। उत्तर प्रदेश में,

पांच मई 1986 को सुनवाई हेतु दर्ज किए गए 20 मामलों की नमूना जांच ने दर्शाया कि दो मामलों में से प्रत्येक का 10वीं व 13वीं सुनवाई में निर्णय हुआ था, जबकि अप्रैल 1986 में दर्ज हुए एक मामले का निर्णय नहीं हुआ था (जनवरी 1991)। देयों के निर्धारण में विलम्ब के लिए मुख्य कारण, मामले की सुनवाई की तारीख पर सम्बन्धित क्षेत्र प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बकाया देयों का अप्रस्तुतीकरण था।

10.4 (क) बकाये: कर्मचारी भविष्य निधि: मार्च 1991 के अन्त तक 11029 प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित 96.03 करोड़ रुपये की भविष्य निधि अंशदान की राशि, बकाया थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

(राशि करोड़ रुपयों में)

31मार्च को स्थिति	कुल देय अंशदान	प्राप्त अंशदान	बकाया अंशदान	
			प्रतिष्ठानों की संख्या	राशि
1986	5490.99	5432.69	8593	58.30
1987	6275.49	6203.52	9649	71.97
1988	7133.06	7054.32	10007	78.74
1989	8179.73	8091.46	11461	88.27
1990	9503.54	9404.78	12640	98.76
1991	11126.14	11030.11	11029	96.03

भुगतान नहीं कर रहे प्रतिष्ठानों से देय अंशदानों के बकाया, 1985-86 में 58.30 करोड़ रुपये से 1990-91में 65 प्रतिशत तक 96.03 करोड़ रु. हो गये थे, बकायों के वर्षवार ब्यौरे संगठन के पास उपलबध नहीं थे। 1985-86 से 1990-91 के दौरान बकाये हरियाणा में 61 प्रतिशत, कर्नाटक में 181 प्रतिशत, बिहार में 132 प्रतिशत, गुजरात में 172 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 300 प्रतिशत, राजस्थान में 167 प्रतिशत और पंजाब क्षेत्र में 106 प्रतिशत तक बढ़ गये थे।

देय भविष्य निधि अंशदानों के बकायों की राशि संगठनों की प्रकृति/संख्या, जिसके प्रति बकाया मार्च 1991 तक लंबित थे, के विवरण निम्नवत थे:-

प्रतिष्ठान का प्रकार	प्रतिष्ठानों की संख्या	बकायों की राशि
		(लाख रु. में)
1. समापन के अन्तर्गत प्रतिष्ठान	542	851.30
11. परिसमापन के अन्तर्गत प्रतिष्ठान	192	584.10
111. वसूलियां स्थगित अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित पुनर्निर्माण योजनाएं	457	967.98
1V. राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान	102	1059.53
V. अन्य	9736	6139.94
कुल	11029	9602.85

वर्ष 1990-91 के लिए संगठन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 34.63 करोड़ रुपये की राशि के बकाया की वसूली की सम्भावना कम थी, क्योंकि भुगतान न करने वाले प्रतिष्ठान बंद थे/ समापन के अन्तर्गत/परिसमापन के अन्तर्गत थे, अथवा कुछ मामलों में वसूलियां न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई थीं अथवा प्रतिष्ठान रुग्ण हो गये थे और सरकार द्वारा अधिकार में ले लिये गए थे।

संगठन ने यह भी बताया कि भुगतान नहीं कर रहे प्रतिष्ठान जो कि रुग्ण हो गये थे, को राहत देने की दृष्टि से, किस्तों के माध्यम से बकायों के परिशोधन की सुविधा विद्यमान थी और 31 मार्च 1990 तक किस्त योजना द्वारा 15.54 करोड़ रुपये की राशि के बकाया आवृत किये गये थे।

राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठानों से देय बकायों के मामले में, जहां भुगतान आयुक्त नियुक्त किए गए थे, संगठन को सूचना नहीं थी कि क्या दावे उल्लिखित समय अवधि के भीतर दर्ज कराए जा चुके थे।

अनुमान समिति ने दिनांक 25 अप्रैल 1989 की उनकी रिपोर्ट में संगठन ने यह अवलोकित किया कि वर्षों से, भुगतान न करने वालों की संख्या बढ़ रही थी और नियोक्ताओं से

वसूलीयोग्य बकाये उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की धमकी के बावजूद बढ़ रहे थे। समिति का विचार था कि संगठन द्वारा की गई पहल ने, भुगतान न करने वालों की संख्या को कम करने में पर्याप्त प्रभाव नहीं डाला था तथा अधिनियम के स्पष्ट उल्लंघन के प्रति सख्त कार्यवाही होनी चाहिये । समिति ने निवेदन किया कि प्रवर्तन प्रशासनिक बकायों की वसूली के लिए पुनर्संज्जित तथा पुन:सक्रिय किया जाना चाहिए और राजस्व के प्रवंचन में लगे हुओं के विरुद्ध समय पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 1992) कि जुलाई 1990 से पहले बकायों की वसूली जिला राजस्व अधिकारियों के माध्यम से की गई थी और प्रक्रिया धीमी थी। अनुमान समिति की अनुशंसाओं पर और बकायों को कम करने के लिए भी, एक अलग वसूली संगठन ने जुलाई 1990 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था और इसके साथ, मामलों के आगामी वर्षो में सुधरने की आशा की गई थी।

(ख) प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार (कर्मचारी भविष्य निधि): भविष्य निधि अंशदानों के बकायों के अतिरिक्त, गैर छूटप्राप्त और छूटप्रात प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1991 को 3.27 करोड़ रुपये की राशि के प्रशासनिक एवं निरीक्षण प्रभार देय थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राशि
1985-86	1.79
1986-87	1.95
1987-88	2.51
1988-89	2.75
1989-90	3.26
1990-91	3.27

बकाये, 1985-86 में 1.79 करोड़ रुपये से 1990-91 में 83 प्रतिशत तक 3.27 करोड़ रुपये बढ़ गये थे।

(ग) कर्मचारी परिवार पेंशन योजना: नियोक्ताओं से 31 मार्च 1991 तक 10.88 करोड़ रुपये की अंशदान राशि बकाया थी,जैसा कि नीचे दिया गया है:

(राशि: करोड़ रु. में)

आवृत प्रतिष्ठानों की संख्या	अंशदाताओं की की संख्या (लाखों में)	बकाया अंशदान (अथशेष)	वर्ष के लिए देय अंशदान	कुल देय अंशदान (का.4+5)नियोक्ताअंश	प्राप्त अंशदान (कर्मचारी और (अंतशेष) (का. 6-7)	बकाया अंशदान
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,57,863	86.18	3.91	154.65	158.56	153.88	4.68
1,66,040	92.81	4.68	184.28	188.96	183.21	5.75
1,70,425	94.54	5.75	206.75	212.50	205.10	7.40
1,81,643	99.98	7.40	246.06	253.46	244.41	9.05
1,94,961	103.94	9.05	280.27	289.32	278.81	10.51
2,06,986	122.16	10.51	317.20	327.71	316.83	10.88

किसी संतोषजनक प्रणाली से सम्बन्धित निम्न महत्वपूर्ण सूचना उपलबध नहीं थी:-

- मार्च 1991 के अन्त तक बकाया अंशदानों के वर्षवार ब्यौरे;
- इन बकायों के लिए विस्तृत ब्यौरे;
- प्रतिष्ठानों की श्रेणी जैसे; समापन के अन्तर्गत, परिसमापन के अन्तर्गत, राष्ट्रीयकृत और अन्य अन्तर्गस्त प्रतिष्ठान;
- सूचना, कि क्या दावे, राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठानों के मामलों में भुगतान आयुक्तों के समय समय पर दाखिल किए गए थे।

(घ)कर्मचारी निक्षेप से जुड़ी बीमा निधि: 31 मार्च 1991 को नियोक्ताओं से, उनके कर्मचारी निक्षेप

बीमा निधि के उनके अंशदान के प्रति 3.50 करोड़ रुपये की राशि देय थी, जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(राशि :करोड़ रुपयों में)

31मार्च को समाप्त वर्ष	प्रतिष्ठानों की संख्या	अंशदाताओं की संख्या (लाखों में)	बकाया अंशदान (अथशेष)	वर्ष के लिए देय अंशदान	कुल अंशदान देय (का.4+5)	प्राप्त अंशदान (नियोक्ताओं)	बकाया अंशदान (का.6-7)
1.	2	3	4	5	6	7	8
1986	1,57,863	132.09	2.10	28.14	30.24	28.60	1.64
1987	1,66,040	138.12	1.64	32.33	33.97	32.03	1.94
1988	1,70,425	138.39	1.94	34.27	36.21	33.83	2.38
1989	1,81,643	142.98	2.38	36.76	39.14	36.18	2.96
1990	1,94,961	146.64	2.96	38.23	41.19	37.9[illegible]	3.27
1991	2,06,986	157.07	3.27	42.47	45.74	42.24	3.50

इसके अतिरिक्त, 31मार्च 1991 तक 1.31 करोड़ रुपये और 1.18 करोड़ रुपये की राशि के प्रशासनिक प्रभार, क्रमशः नियोक्ताओं और केन्द्रीय सरकार से बकाया में थे। नियोक्ताओं से बकाया प्रशासनिक प्रभारों के संबंध में स्थिति निम्नानुसार थी:

(करोड़ रुपये में)

31मार्च को समाप्त वर्ष	बकाये (अथशेष)	वर्ष के लिये देय प्रशासनिक/निरीक्षण प्रभार	कुल देय प्रभार	प्राप्त प्रशासनिक/ निरीक्षण प्रभार	बकाया प्रभार (अन्तशेष)
1986	0.63	7.78	8.41	6.91	1.50
1987	1.50	6.72	8.22	7.72	0.50
1988	0.50	8.62	9.12	7.95	1.17
1989	1.17	4.61	5.78	4.61	1.17
1990	1.17	3.73	4.90	3.56	1.34
1991	1.34	3.09	4.43	3.12	1.31

जबकि, अंशदानों का बकाया 1985-86 में 1.64 करोड़ रुपये से, 1990-91 में 3.50 करोड़ रुपये तक बढ़ गया था, प्रशासनिक प्रभारों के बकाये, उसी अवधि के दौरान 0.63 करोड़ रुपये से 1.31 करोड़ रुपये तक बढ़ गए थे। अंशदानों और प्रशासनिक प्रभारों के मामले में वृद्धि क्रमशः 100 और 113 प्रतिशत थी।

31 मार्च 1991 को बकायों के वर्षवार ब्यौरे, संगठन के पास उपलब्ध नहीं थे। संगठन के पास प्रतिष्ठानों की श्रेणी जैसे समापन, परिसमापन के अंतर्गत प्रतिष्ठान, जो राष्ट्रीय कृत हैं, और अन्य जिनमें बकायों के देय वसूले जाने थे, के संबंध में भी सूचना नहीं थी। संगठन ने नवम्बर 1990 में बताया कि बकाये वित्तीय संकट तथा भुगतान न कर रहे प्रतिष्ठानों की औद्योगिक रुग्णता के कारण थे।

(ड.) छूटप्राप्त प्रतिष्ठान: छूटप्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को भविष्य निधि अंशदान (कर्मचारियों और नियोक्ताओं का) उनके सम्बन्धित न्यासी बोर्ड को अगली माह की 20 तारीख को स्थानान्तरित किए जाने अपेक्षित हैं। उन्हें, बोर्ड को अंतरित देय भविष्य निधि अंशदान तथा उसमें से क्षेत्रीय आयुक्त को किये गये निवेश, को दर्शाते हुए एक विवरणी प्रत्येक माह प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी।

प्रतिष्ठानों की संख्या जो, अंशदान अंतरित करने में असफल रहीं, 1985-86 में 139 से

1990-91 में 150 तक बढ़ गई और बकाये की राशि 1985-86 में 84.24 करोड़ रुपये से 1990-91 में 131.98 करोड़ रुपये तक बढ़ गई।

(राशि: करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में बकाये		वर्ष के लिए देय अंशदान	कुल देय अंशदान	बोर्ड को अंतरित अंशदान	वर्ष के अन्त में बकाया अंशदान	
	प्रतिष्ठानों की संख्या	राशि				प्रतिष्ठानों की संख्या	राशि
1985-86	137	63.92	880.53	944.45	860.21	139	84.24
1986-87	139	84.24	1037.95	1122.19	1023.68	142	98.51
1987-88	142	98.51	1164.07	1262.58	1151.15	166	111.43
1988-89	166	111.43	1405.60	1517.03	1387.47	164	129.56
1989-90	164	129.56	1847.41	1976.97	1845.22	148	131.75
1990-91	148	131.75	2041.72	2173.47	2041.49	150	131.98

पश्चिमी बंगाल, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में 31 मार्च 1991 को, 130.36 करोड़ रुपये, अथवा कुल बकाया का 99 प्रतिशत का भुगतान करने में चूक दर्ज हुई जिसमें से अकेले पश्चिम बंगाल ने 109.23 करोड़ रुपये की भुगतान करने में सबसे अधिक चूक दर्ज हुई।

संगठन ने फरवरी 1992 में बताया कि 26.32 करोड़ रुपये के बकाया बन्द हो रहे, परिसमापन के अन्तर्गत प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, जहां वसूली न्यायालय द्वारा स्थगित की गई थी अथवा जो रुग्ण हो गये थे और सरकार द्वारा अधिकार में ले लिये गये थे से देय थे। इन मामलों में देयों की वसूली के लिए संगठन के पास सीमित विकल्प थे। अन्य प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित 105.66 करोड़ रुपये के बकायों के संबंध में, उनसे देयों की वसूली के प्रयत्न किए जा रहे थे।

31 मार्च 1991 को, उनके स्तर के अनुसार चूककर्ता छूटप्राप्त प्रतिष्ठानों का मोटे तौर पर वर्गीकरण निम्नवत था:-

(राशि:करोड़ रु.में)

प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठानों की संख्या	राशि
बंद प्रतिष्ठान	18	4.55
परिसमापन के अधीन	13	4.05
प्रतिष्ठान, जहां वसूली उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई थी	17	16.86
राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान	6	0.86
अन्य	96	105.66
	150	131.98

संगठन के पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि क्या भुगतान आयुक्त के समक्ष दावे समय पर दायर कर दिये गये थे, जहां चूककर्ता छूटप्राप्त प्रतिष्ठान राष्ट्रीयकृत थे।

11.बकायों की वसूली

एक बार अधिनियम के अन्तर्गत दातव्यों को निश्चित कर लिया जाये तथा संगठन द्वारा निश्चित की गई राशि की सूचना देते हुए, प्रतिष्ठानों को कथनादेश जारी कर दिये जायें, तो नियोक्ताओं को एक अनुबद्ध अवधि के अन्दर निर्धारित दातव्य जमा कराना अपेक्षित था। ऐसे मामले में, जहां नियोक्ता दातव्यों को जमा कराने में असफल रहे, संगठन को, भू-राजस्व के रुप में दातव्यों की वसूली हेतु जिला राजस्व प्राधिकारियों को राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति है। नीचे वर्षवार दशयि गये विवरणों के अनुसार, मार्च 1991 के अन्त में विभिन्न जिला प्राधिकारियों के पास 11,256.65 लाख रु. की राशि अन्तर्ग्रस्त करते हुए भविष्य निधि दातव्यों के संबंध में 32,403 राजस्व वसूली प्रमाण पत्र लम्बित थे।

(राशि: लाख रु. में)

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित मामले		जारी किये गये मामले	निर्णीत मामले	वर्ष के अन्त में लम्बित मामले	
	संख्या	राशि			संख्या	राशि
1985-86तक	22210	8759.67	5584	4797	22997	9681.30
1986-87	22829*	9681.30	6589	3276	26142	11691.99
1987-88	26142	11691.99	8963	5260	29845	10170.52
1988-89	29845	10170.52	6018	4070	31793	11466.37
1989-90	31793	11466.37	5443	3309	33927	12279.65
1990-91	33927	12279.65	5708	7232	32403	11256.65

* आंकड़े संगठन द्वारा संशाधित

1985-86 तथा 1990-91 के बीच मामलों की संख्या तथा अन्तर्ग्रस्त राशि क्रमशः 41 तथा 17 प्रतिशत तक बढ़ गयी थी।

32,403 लम्बित मामलों का वर्षवार विवरण संगठन के पास उपलब्ध नहीं था।

इसके अतिरिक्त 31 मार्च 1991 को, परिवार पेंशन योजना तथा कर्मचारी निक्षेप से जुड़ी बीमा योजना के अन्तर्गत, 10.88 करोड़ रु. तथा 4.81 करोड़ रु. के बकायों के प्रति क्रमशः 9.06 करोड़ रु. तथा 4.10 करोड़ रु. के राजस्व वसूली प्रमाण पत्र भी लम्बित थे।

दिल्ली क्षेत्र में न तो निर्धारित अभिलेख, यथा, राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए वसूली रजिस्टर अनुरक्षण किया गया था, न ही कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई थी। क्षेत्रीय कार्यालय ने बताया (अक्तूबर 1990) कि संगठन के वसूली तंत्र ने 1 जुलाई 1990 से कार्य प्रारम्भ कर दिया था तथा जिला राजस्व प्राधिकारियों के पास लम्बित सभी मामले, इसकी अपनी वसूली तंत्र के माध्यम से तेजी से वसूली हेतु वापिस लिए जा रहे थे।

12. क्षतियों का उद्ग्रहण: गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठान

12.1 क्षतियों का उद्ग्रहण: दातव्यों के भुगतान में चूक की अवस्था में, संगठन को, सभी

विलम्बित प्रेषणों पर, 25 प्रतिशत वार्षिक की एक समान दर से संगणित, अधिकतम बकाया राशि के अध्याधीन, नियोक्ताओं से क्षतियों का उद्ग्रहण करने तथा वसूल करने की शक्ति है। चूक करने के तुरन्त बाद, क्षतियों के उद्ग्रहण की जांच करने के लिए क्षति प्रकोष्ठों को आगे सम्प्रेण हेतु मांग-संग्रहण-बकाया रजिस्टर के आधार पर विलम्बित प्रेषणों का विवरण तैयार किया जाना अपेक्षित है। इसके साथ-साथ मांग-संग्रहण- बकाया रजिस्टर में एक टिप्पणी रखी जानी होती है। क्षतियों को उद्ग्रहण तथा वसूली पर निगरानी रखने के लिए "क्षतियों की उद्ग्रहण तथा वसूली पर निगरानी हेतु रजिस्टर" के नाम से एक रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

नमूना जांच किये गये क्षेत्रों में मांग-संग्रहण- बकाया रजिस्टरों की प्रतिमाह समीक्षा नहीं की जा रही थी। तमिलनाडु क्षेत्र को छोड़कर, विलम्बित प्रेषणों के विवरण तैयार नहीं किये जा रहे तथा क्षति प्रकोष्ठ को भेजे नहीं जा रहे थे; परिणामत:, निरीक्षकों से आवश्यक सूचना प्राप्त करने के बाद, क्षतियां यादृच्छिक आधार पर उद्ग्रहित की जा रही थी।

क्षेत्रीय आयुक्त, दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 1989-90 तक चूक के 3118 मामले थे, जिनमें क्षतियां उद्ग्रहित की जानी थी, परन्तु उद्ग्रहित नहीं की गई थी; 1985-86 तक; 13 मामले, 1986-87: 880 मामले, 1987-88: 874 मामले, 1988-89: 706 मामले तथा 1989-90; 645 मामले थे।

330 मामलों (दिल्ली 152, उत्तर प्रदेश 36 तथा तमिलनाडु 142) की नमूना जांच ने प्रकट किया कि क्षतियों के उद्ग्रहण/क्षतियों के उद्ग्रहण हेतु नियोक्ताओं को कारण बताओं नोटिस जारी करने में विलम्ब, प्रथम चूक की तारीख से 1 से 25 वर्ष के बीच तथा अधिक रहा, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

विलम्ब की मात्रा	मामलों की संख्या		
	दिल्ली	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश
1से 3 वर्ष	2	45	5
3से 5 वर्ष	17	33	1
5 से 7 वर्ष	20	28	1

7 से 10 वर्ष	20	24	12
10 से 15 वर्ष	31	11	12
15 से 20 वर्ष	28	1	5
20 से 25 वर्ष	28	शून्य	शून्य
25 वर्षों से अधिक	6	शून्य	शून्य
	152	142	36

क्षतियों के उद्ग्रहण में विलम्ब महाराष्ट्र क्षेत्र में 17 वर्षों तक था ।

तमिलनाडु में, उन मामलों में भी, जहां विलम्बित प्रेषणों के विवरण लेखा अनुभाग द्वारा भेजे गये थे, क्षतियां तत्परता से उद्ग्रहित नहीं की गई थीः नमूना जांच किये गये 35 मामलों में विलम्ब, विवरण की प्राप्ति की तारीख से 11 से 41 महीनों तक के बीच थे।

12.2 बकाया राशिः नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार, 31 मार्च 1991 को 4834.26 लाख रु. की राशि की क्षतियां वसूलीयोग्य थीः-

(लाख रु. में)

वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान उदग्रहीत क्षतियों की राशि	जोड़	वर्ष के दौरान प्राप्त की गई क्षतियों की राशि	बकाया शेष
1985-86	2843.78	426.43	3270.21	137.44	3132.77
1986-87	3054.87*	486.30	3541.17	130.78	3410.39
1987-88	3396.29*	770.67	4166.96	169.40	3997.56
1988-89	3997.56	462.79	4460.35	104.47	4355.88
1989-90	4355.88	616.27	4972.15	165.15	4807.00
1990-91	4807.20	456.37	5263.57	429.31	4834.26

* आंकड़े संगठन द्वारा संशोधित ।

बकाया दाण्डिक क्षतियों की राशि 1985-86 में 2843.78 लाख रु. से, छः वर्षों की अवधि के भीतर 70 प्रतिशत तक बढ़ कर, 1990-91 में 4834.26 लाख रु. हो गई।

दाण्डिक क्षतियों की बकाया राशि तथा अन्तर्ग्रस्त मामलों की संख्या (प्रतिष्ठान) का वर्षवार विश्लेषण उपलब्ध नहीं था।

बकाया क्षतियों के अप्रापण तथा क्षतियों की वसूली के लिए की गई कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई थी। बकाया दाण्डिक क्षतियों के मामलों की संख्या से सम्बन्धित सूचना, जहां क्षतियों की वसूली करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी, उपलब्ध नहीं थी।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 1992) कि बकायों (क्षतियों सहित) की वसूली का कार्य, जो कि जिला राजस्व प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा था, जिन्होंने इस कार्य को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी, संगठन के वसूली तंत्र द्वारा हाथ में ले लिया गया था तथा आगामी वर्षों में स्थिति सुधरने की आशा थी।

13. क्षतियों का उद्ग्रहण: छूट प्राप्त प्रतिष्ठान:

संगठन ने उद्ग्रहित, वसूली गई बकाया क्षतियों, चूककर्ता छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के प्रति बकायों की वसूली तथा चलाये गये अभियोजन मामलों से सम्बन्धित सूचना नहीं भेजी। छः क्षेत्रीय कार्यालयों में से तीन में नमूना जांच ने निम्नवत इंगित किया:-

दिल्ली: मांग-संग्रहण- बकाया रजिस्टरों की समीक्षा नहीं की जा रही थी। चूककर्ता प्रतिष्ठानों की कोई भी सूचियां क्षतियों के उद्ग्रहण हेतु कभी भी क्षति प्रकोष्ठ को नहीं भेजी गई थी, किसी भी छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के विरुद्ध कोई अभियोजन मामला नहीं चलाया गया था।

तमिलनाडु: 31 मार्च 1990 को, दो छूट प्राप्त प्रतिष्ठान 10.67 लाख रु. के अंशदान चूक में थे। दोनों मामलों में, किस्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की गई थी।

उत्तर प्रदेश: क्षेत्र ने छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के प्रति क्षतियों के उद्ग्रहण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की थी। कोई वसूली प्रमाणपत्र जारी नहीं किये गये थे, क्योंकि कोई दीर्घावधि बकाया नहीं था। 128.82 लाख रु. को अन्तर्ग्रस्त करते हुए 32 अभियोजन मामले थे, सभी 5 वर्षों से अधिक से लम्बित थे। 1985-86 से 1989-90 के दौरान कोई अभियोजन मामला संस्वीकृत नहीं किया गया था।

दो मामले बकाया थे, जहां 33.70 लाख रु. की कटौतियां कर्मचारियों की मजदूरियों से की गई थी जहां नियोक्ता न्यासी बोर्ड को अंशदान अन्तरित करने में विफल रहे, जिस पर भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही लागू होती है। एक मामला 5 वर्षों से अधिक से लम्बित था तथा अन्य

एक वर्ष से कम का था।

14. अभियोजन

14.1 चूककर्ता प्रतिष्ठानों से बकाया के प्रापण के लिए, संगठन को, फौजदारी अदालतों में अभियोजन मामले दायर करने की शक्ति है। एक बार क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा अभियोजन संस्वीकृत किये जाने पर, न्यायालय में सात दिनों के भीतर शिकायत दायर कर दी जानी चाहिये। निरीक्षकों को एक विशेष रजिस्टर के माध्यम से प्रगति पर निगरानी रखना अपेक्षित है।

806 मामलों की नमूना जांच (दिल्ली 585, पंजाब 187 तथा तमिलनाडु 34) ने प्रदर्शित किया कि मामले निर्धारित अवधि के भीतर दायर नहीं किये गये थे। नीचे दी गई तालिका के अनुसार विलम्ब 15 महीनों तक तथा अधिक थे:

विलम्ब	मामलों की संख्या		
	दिल्ली	पंजाब	तमिलनाडु
एक महीने तक	220	87	-
1 से 3 महीने	185	21	15
3 से 6 महीने	108	-	19
6 से 9 महीने	29	9	-
9 से 12 महीने	26	30	-
12 से 15 महीने	8	40	-
15 से अधिक	9	-	-
	585	187	34

14.2 बकाया अभियोग मामले: 31मार्च 1991 को न्यायालयों में निम्न दर्शाए अनुसार 105732 अभियोग मामले लम्बित थे:

वर्ष	अथ शेष	आरम्भ किए गए मामले	कुल मामले	निर्णीत मामले	लम्बित मामले
1985-86#	37269	5155	42424	2434	39990
1986-87	60379	11131	71510	2940	68570
1987-88	68518*	12515	81033	4998	76035
1988-89	76174*	11853	88027	3854	84173
1989-90	84034*	19510	103544	4923	98621
1990-91	98241*	12553	110794	5062	105732

केवल कर्मचारी भविष्य निधि (परिवार पेंशन तथा कर्मचारी निक्षेप से जुड़े बीमा मामलों के सम्बन्ध में सूचना संगठन के पास उपलब्ध नहीं है)

* आंकड़े संगठन द्वारा संशोधित

टिप्पणी: संगठन के पास निहित राशि के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

भविष्य निधि के सम्बन्ध में लम्बित मामलों की संख्या 1985-86 तथा 1990-91 के बीच 70 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। परिवार पेंशन योजना तथा बीमा जमा सम्बद्ध योजना के सम्बन्ध में लम्बित मामलों की संख्या 1986-87 तथा 1990-91 के बीच क्रमशः 80 तथा 132 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। बिहार, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल का कुल लम्बित मामलों के 70 प्रतिशत को बनाते थे।

अभियोग मामलों का निपटान धीमा था। 1985-86 से 1990-91 की अवधि के दौरान संगठन द्वारा आरम्भ किए गए 72,717 मामलों के प्रति केवल 24,211 मामलों का निपटान किया गया था।

31 मार्च 1991 को लम्बित 1,05,732 मामलों में से 17,476 मामले (16 प्रतिशत) एक से दो वर्षों, 17628 मामले (17 प्रतिशत) दो से तीन वर्षों तथा 27,473 (26 प्रतिशत) मामले तीन वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़े थे।

दिल्ली में निरीक्षकों द्वारा अभियोग मामलों की प्रगति का निगरानी रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय आयुक्त की स्वीकृति तिथि रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी।

जहां कहीं संगठन को न्यायालय द्वारा जुर्माने का एक हिस्सा मुआवजा के रुप में प्रदान किया जाता था उसे न्यायालय से संग्रहण करने तथा कर्मचारी भविष्य निधि में जमा कराने के लिये तीव्र कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। क्षेत्रीय कार्यालयों को उचित अभिलेख अनुरक्षित करने तथा योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किए गए अभियोग मामलों में लगाए गए जुर्मानों में से न्यायालय द्वारा निर्णीत मुआवजे को दशनि वाली विवरणी शीर्षक की एक त्रैमासिक रिपोर्ट केन्द्रीय आयुक्त को भेजनी आवश्यक थी।

संगठन ने अगस्त तथा नवम्बर 1990 में बताया कि ऐसी कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गई थी तथा निर्णीत मुआवजे के विवरण केन्द्रीय कार्यालय में अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 1992) कि विभिन्न जांच-न्यायालयों में अभियोजनों का अधिक अनिर्णय इन न्यायालयों में बड़ी मात्रा में विचाराधीन पर आरोपित किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में केवल भविष्य निधि मामलों को निपटाने के लिये 36 विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं तथा महाराष्ट्र भी ऐसा करने पर सहमत हो गया था। उन्होंने यह भी बताया कि अभियोजन मामलों को दायर करने में विलम्ब को टालने के लिये उपयुक्त अनुदेश जारी किये जा रहे थे।

15. भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही

जहां नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों की मजदूरी से कटौतियां की गई थी तथा नियोक्ता अंशदान जमा कराने में असफल रहे, संगठन को भारतीय दंड संहिता की धारा 406 तथा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही करनी आवश्यक थी। 31 मार्च 1991 को निम्नानुसार ऐसे 7143 मामले थे (पुलिस के साथ 6651 मामले तथा न्यायालयों के पास 492 मामले):-

(मामलों की संख्या)

वर्ष	अथ शेष		दर्ज मामले		निर्णीत मामले		लम्बित मामले	
	पुलिस	न्यायालय	पुलिस	न्यायालय	पुलिस	न्यायालय	पुलिस	न्यायालय
1985-86	2584	उ.न.	514	उ.न.	17	उ.न.	3081	उ.न.
1986-87	4259(सं.)	149	749	191	213	14	4795	326
1987-88	4815(सं.)	325(सं)	865	61	159	14	5521	372

1988-89	5521	372	770	108	125	21	6166	459
1989-90	6166	459	454	39	123	36	6497	462
1990-91	6416(सं.)	461(सं.)	319	37	84	6	6651	492

सं.- आंकड़े संगठन द्वारा संशोधित

पुलिस प्राधिकारियों तथा न्यायालय के समक्ष अभियोग मामलों की लम्बितता बढ़ रही थी। 31 मार्च 1991 को लम्बित मामलों की संख्या के वर्षवार ब्यौरे तथा ऐसे मामलों में निहित राशि संगठन के पास उपलब्ध नहीं थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 1992) कि पुलिस कानून व व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता दी थी।

16. निधियों की बैंकिंग तथा क्रेडिटिंग

16.1 भारतीय स्टेट बैंक अपनी ब्रांचों तथा अपनी सहायक सहित उप-कार्यालयों के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि तथा कर्मचारी निक्षेप से जुड़ी बीमा निधि के रुप में सोलह निर्दिष्ट बचत बैंक खातों में धन प्राप्त करता है तथा लेखे तैयार करता है। नियोक्ताओं से प्राप्त जमा उसी दिन सम्पर्क ब्रांचों को प्रेषित किए जाने आवश्यक थे जिसे भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई को संगठन के निवेश लेखे में जमा करने के लिए क्रेडिट प्रतिदिन भेजने थे। केन्द्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त अप्रैल, मई तथा जून 1989 मास हेतु बैंक संज्ञापनों /बैंक विवरणियों की नमूना जांच से पता चलता था कि इन्हीं महीनों में किए गए 3492 लेन-देनों में से केवल 63 मामलों में क्रेडिट उसी दिन निवेश लेखे में जमा किए गए थे शेष 3429 मामलों में क्रेडिट जमा करने में विलम्ब 1 से 25 दिनों के बीच था। इसके परिणामस्वरुप नमूना जांच किए गए मामलों में इन तीन महीनों में संगठन को 19.99 लाख रु. की राशि के ब्याज की हानि हुई।

मंत्रालय ने अप्रैल 1992 में बताया कि निवेश लेखों में क्रेडिट जमा कमा करने में विलम्ब हेतु ब्याज के भुगतान के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ मामला उठाया गया था। मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि संगठन सभी विलम्बित क्रेडिट मामलों (तथा केवल वो नहीं जो लेखा परीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच में बताए गए) का पुनरीक्षण करे तथा भारतीय स्टेट बैंक से ब्याज की वसूली के लिए दबाव डाले। निरन्तर आधार पर बैंकों द्वारा समय पर क्रेडिट का प्रबोधन करने तथा विलम्बित क्रेडिटों के मामले में ब्याज की वसूली के लिए प्रणाली तथा प्रक्रिया उचित होनी चाहिए।

16.2 संगठन ने क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 1989 में निर्देश जारी किए थे कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निधियाँ जमा करने में सभी विलम्बों का प्रबोधन किया जाये तथा जहां क्रहीं स्वीकार्य था बैंक से ब्याज का दावा किया जाये। भारतीय स्टेट बैंक से दावा की गई निधियों के अंतरण में विलम्ब के रुप ब्याज की राशि तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अदा की गई राशि को दशति हुए प्रत्येक लेखे के सम्बन्ध में एक रजिस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित था। नमूना जाँच हुए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ऐसा कोई भी रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। 1985-86 से 1989-90 वर्षो हेतु बैंकों द्वारा निधियाँ जमा करने में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि के विवरण लेखापरीक्षा द्वारा मंगाए गए थे। संगठन ने अगस्त 1991 में सूचित किया कि भारतीय स्टेट बैंक दिसम्बर 1985 से मार्च 1990 की अवधि के दौरान केवल निम्न ब्राचों के संबंध में भविष्य निधि राशियों को जमा करने में विलम्ब के परिणामस्वरुप ब्याज का भुगतान करने में सहमत हो गया था:-

(क) 1दिसम्बर 1985 से 30 नवम्बर 1987 तक 9 प्रतिशत की दर से अहमदाबाद,बम्बई, कानपुर, मद्रास तथा दिल्ली, तथा

(ख) 1 दिसम्बर 1987 से 30 मार्च 1990 तक 10 प्रतिशत की दर से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद तथा जयपुर।

संगठन ने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल तथा गुजरात क्षेत्रों द्वारा दावा की गई 112.69 लाख रु. तथा 0.83 लाख रु. की राशि के प्रति क्रमशः 6.61 लाख रु. तथा 0.49 लाख रु. का ब्याज अदा किया था। अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना संगठन के पास उपलब्ध नहीं थीं।

16.3 विभिन्न लेखों में लेनदेनों के संबंध में डेबिट/क्रेडिट संज्ञापन केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को सम्बन्धित भारतीय स्टेट बैंक की सम्बद्ध ब्राचों द्वारा प्रतिदिन भेजे जाने अपेक्षित थे। 1985-86 से 1989-90 वर्षो के केन्द्रीय तथा छः क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखो के संवीक्षा/छानबीन से पता चलता था कि डेबिट/क्रेडिट संज्ञापन प्रतिदिन प्राप्त नहीं हुए थे तथा बैंकों ने ये संज्ञापन मासिक विवरणी के साथ भेजे थे। संगठन ने जून 1990 में बताया कि साधारणतयाः इन संज्ञापनों को भेजने में बैंकों को एक से दो मास लगते थे तथा बैंकों को संज्ञापन प्रतिदिन भेजने के लिए निवेदन किया गया था, तथापि विभिन्न संज्ञापनों तथा विवरणियों को भेजने के लिए प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं देखा गया था।

31मार्च को कर्मचारी भविष्य निधि लेखा, स्टाफ भविष्य निधि लेखा, परिवार पेंशन लेखा तथा कर्मचारी निक्षेप से जुड़ा बीमा लेखा जो कि केन्द्रीय कार्यालय द्वारा 1986 से 1991 वर्षो के

दौरान तैयार किए जाने आवश्यक थे की जांच से पता चला कि इन लेखों में प्राप्ति तथा भुगतानों में निम्न दर्शाए अनुसार विभिन्नता थी:

(करोड़ रु. में)

31मार्च को समाप्त हुए वर्ष	कर्मचारी भविष्य निधि			स्टाफ भविष्य निधि			परिवार पेंशन निधि			कर्मचारी निक्षेप से जुड़ी बीमा योजना		
	क्रेडिट अतिरेक	डेबिट अतिरेक	लेन देन में राशि	क्रेडिट अतिरेक	डेबिट अतिरेक	लेन देन में राशि	क्रेडिट अतिरेक	डेबिट अतिरेक	लेनदेन में राशि	क्रेडिट अतिरेक	डेबिट अतिरेक	लेन देन में राशि
1986	16.40	8.97	7.24	0.04	-	0.10	2.44	0.57	3.39	2.77	0.19	01.86
1987	25.74	11.22	7.80	0.06	-	0.37	2.69	0.71	5.76	3.44	0.91	03.41
1988	35.86	12.90	14.84	0.09	-	0.32	3.87	0.85	7.66	5.90	1.34	03.64
1989	30.84	07.06	13.39	0.25	-	0.57	4.90	0.86	8.01	8.38	0.56	04.01
1990	35.71	08.74	25.64	1.27	-	0.57	6.71	3.23	10.16	18.25	0.92	05.04
1991	87.40	11.30	40.77	1.14	-	0.68	5.85	1.55	17.22	12.27	1.27	06.61

संगठन द्वारा अन्तर का कारण बैंक तथा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दिए गए गलत डेबिटों/क्रेडिटों पर आरोपित किया गया था।

16.4 स्थानीय भारतीय स्टेट बैंक मुख्यालय बम्बई को प्रतिदिन, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निवेश की पद्धति के अनुसार केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड की ओर से निवेश हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को "निवेश लेखा" में शेष को अंतरण करना आवश्यक था। 1989-90 तथा 1990-91 वर्ष की बैंक विवरणियों की नमूना जाँच से पता चला कि भारतीय स्टेट बैंक बम्बई ने भारतीय रिजर्व बैंक को निधियों का अंतरण प्रतिदिन नहीं किया था इस के परिणामस्वरुप इस अवधि के दौरान 1.17 करोड़ रु. के ब्याज की हानि हुई। मंत्रालय ने अप्रैल 1992 में बताया कि अपने अंशदातों को दिन प्रतिदिन का भुगतान करने के लिए बैंक द्वारा राशि रोक ली गई थी। अतः कोई वास्तविक हानि नहीं हो सकती । उन्होंने आगे बताया कि बम्बई शाखा द्वारा धन का रोका जाना बंद कर दिया गया है।

मंत्रालय का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि बैंकों द्वारा रोकी गई राशि अत्याधिक थी।

भारतीय रिर्जव बैंक को उपलब्ध कराई गई निधियों में से किए गए निवेश की जांच से और पता चला कि प्रतिभूतियों में निवेश 1985-86 से 1989-90 के दौरान निवेश अनुमोदित पद्धति के अनुरुप नहीं था, परिणामस्वरुप राज्य सरकारें वित्तीय सहायता से बंचित रही थीं। जबकि विभिन्नताओं की पुष्टि लेखापरीक्षा को कर दी गई थी, कोई तर्कयोग्य कारण नहीं बताए गए थे।

16.5 संगठन ने एक अलग वापसी लेखा अनुरक्षित किया था जिसमें से सदस्यता के जारी न रहने पर अथवा अग्रिम के रुप में अंशदाताओं को भुगतान किये जाते थे। वापसी लेखा को अंतरित की जाने वाली राशि का निर्णय केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त नई दिंल्ली द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के आधार पर किया जाता था। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आवश्यकता का अनुमान साधारणतः ठीक ढंग से नहीं किया गया था तथा वास्तविक संवितरण उनके निपटान के लिए रखी गई निधियों से बढ़ गये इसके परिणामस्वरुप निम्न तालिका में दर्शाए अनुसार भारी ऋणात्मक शेष रहे:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	संवितरण सीमा			वास्तविक संवितरण			अधिक संवितरण		
		88-89	89-90	90-91	88-89	89-90	90-91	88-89	89-90	90-91
1.	बिहार	12.00	15.60	12.00	11.01	12.61	32.04	-	-	20.04
2.	दिल्ली	18.00	24.00	18.00	21.50	24.50	82.57	3.50	0.50	64.57
3.	महाराष्ट्र	228.00	242.40	228.00	216.72	210.39	415.47	-	-	187.47
4.	पंजाब	17.40	24.72	20.40	17.24	22.85	84.60	-	-	64.20
5.	तमिलनाडु	86.40	104.40	86.40	99.21	96.51	177.47	12.81	-	91.07
6.	उत्तर प्रदेश	45.96	55.80	45.96	49.41	54.08	104.41	3.45	-	58.45

संगठन ने बताया कि यह एक तथ्य था कि क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस लेखे से राशि निकालने की उच्चतम सीमा केन्द्रीय कार्यालय द्वारा पिछले वर्ष में औसत भुगतान

को मध्य नजर रखते हुए समय-समय पर निर्धारित की गई थी। तथापि, उन मामलों में जहाँ अप्रत्याशित व्यय निहित था, अनुमान उच्चतर रुख का था। मंत्रालय ने अप्रैल 1992 में बताया कि वापसी लेखा अप्रैल 1991 से समाप्त हो गया था।

16.6 कर्मचारी परिवार पेंशन निधि निवेश लेखे के शेषों तथा कर्मचारी निक्षेप से जुड़ा बीमा निधि निवेश लेखा के शेषों को भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली में जमा कराना आवश्यक था, जिसे राशि लोक लेखा में जमा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली को अंतरण करना आवश्यक था। जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जायेगा कि 31 मार्च 1991 को संगठन की पुस्तकों में लोक जमा में राशियों तथा वेतन तथा लेखा अधिकारी (मुख्य सचिवालय) श्रम मंत्रालय की राशियों में अन्तर (कर्मचारी परिवार पेंशन निधि के मामले में 236.34 करोड़ रु. तथा कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के मामले में 231.47 करोड़ रु.) थे:-

(करोड़ रु. में)

	31मार्च 1991 को संगठन के अनुसार लोक लेखे में निक्षेप की राशि	31मार्च 1991 को वे.ले.अ.श्रम मंत्रालय के अनुसार लोक लेखे में निक्षेप की राशि	अन्तर
कर्मचारी परिवार पेंशन योजना	4202.26	3965.92	(-) 236.34
कर्मचारी निक्षेप से जुड़ी बीमा योजना	746.80	978.27	+ 231.47

संगठन ने मार्च 1991 में बताया कि लोक लेखे को अंतरित राशियों के निक्षेप की वास्तविक तिथियां उपलब्ध नहीं थी क्योंकि मंत्रालय इन्हें सूचित नहीं कर रहा था।

मंत्रालय ने अप्रैल 1992 में बताया कि मामला मिलान हेतु वेतन तथा लेखा अधिकारी से उठाया गया था तथा उन का उत्तर प्रतीक्षित था।

16.7 संगठन ने केन्द्रीय प्रशासनिक लेखे में उपलब्ध अतिरिक्त राशि का भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के समयावधि जमा लेखा में जनवरी 1989 तक निवेश किया था। अतिरिक्त धन का निवेश किसी निर्धारित पद्धति द्वारा नियमित नहीं किया गया था। संगठन का 31 मार्च 1986,1987 तथा 1988 को क्रमशः 32,33 तथा 31 बैंक ब्राचों में कुल 95.33 करोड़ रु, 114.10 करोड़ रु. तथा 131.55 करोड़ रु निर्धारित जमा लेखा में निवेश था। निवेश 24,36,61 तथा 63 महीनों की परिपक्वता की विभिन्न अवधियों हेतु भी किए गए थे।

संगठन ने दिसम्बर 1987 में एक करोड़ रु. तथा जनवरी 1988 में 10 लाख रु. म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश किए थे। म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने के लिए के.न्या.बो. का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

फरवरी 1989 से अतिरिक्त निधियों का के.न्या. बो. द्वारा निर्णय अनुसार लोक लेखे में निवेश किया जाना अपेक्षित था। यह अवलोकित किया गया था कि 1989-90 के दौरान प्रत्येक मास के अंत में कर्मचारी निक्षेप से जुड़ा बीमा अतिरिक्त लेखे में शेष 5 लाख रु. तथा प्रशासनिक लेखे में 50 लाख रु. से बढ़ गया था। चूंकि विशेष जमा लेखे में 12 प्रतिशत की दर के प्रति, बचत बैंक पर ब्याज 5 प्रतिशत था इसके परिणामस्वरुप आय में परिहार्य हानि हुई। संगठन ने सितम्बर 1991 में बताया कि भविष्य में बैंक के पास ऐसे धन के अधिक अवधारण को रोकने के लिये समुचित निगरानी रखी जा रही थी।

16.8 **विभिन्न निधियों तथा उससे सृजित परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत बकायों में विसंगतियां:-** तुलनपत्र के देयताओं पक्ष में दशयि गये (1) कर्मचारी भविष्य निधि (2) स्टाफ भविष्य निधि (3) पेंशन-व-उपदान निधि तथा (4) केन्द्रीय प्रशासकीय निधि शीर्षो के अन्तर्गत क्रेडिट शेष निवेशों, नकद शेष तथा उससे सृजित अन्य परिसम्पत्तियों के साथ मेल खाने चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं था, जैसा की नीचे दिये गये पिछले छः वर्षो के विवरण से स्पष्ट है:-

(लाख रु. में)

वर्ष	देयताएं	परिसम्पत्तियां	अन्तर
	कर्मचारी भविष्य निधि		
1. 1985-86	601057.64	601064.98	7.34
2. 1986-87	695361.60	695246.71	114.89
3. 1987-88	798578.05	798343.81	234.24

4. 1988-89	925912.51	925961.82	49.31
5. 1989-90	1092303.45	1092226.82	76.63
6. 1990-91	1289690.55	1289736.86	46.31

स्टाफ भविष्य निधि

1. 1985-86	626.18	663.29	37.11
2. 1986-87	790.00	783.70	6.30
3. 1987-88	990-61	972.41	18.20
4. 1988-89	1226.81	1229.78	2.97
5. 1989-90	1645.74	1574.11	71.63
6. 1990-91	1967.57	1870.41	97.16

पेंशन व उपदान निधि

1. 1985-86	1014.62	1009.29	5.33
2. 1986-87	1191.90	1186.57	5.33
3. 1987-88	1466.09	1460.76	5.33
4. 1988-89	1756.46	1736.61	19.85
5. 1989-90	2046.72	2041.39	5.33
6. 1990-91	2369.96	2364.64	5.32

केन्द्रीय प्रशासन निधि

1. 1985-86	4825.31	4868.82	43.51
2. 1986-87	5205.50	5332.01	126.51
3. 1987-88	5923.78	6170.95	147.17
4. 1988-89	7463.05	7646.21	183.16
5. 1989-90	8974.63	9305.06	330.43
6. 1990-91	13047.89	13260.38	212.49

संगठन ने अक्तूबर 1990 में बताया कि विभिन्न निधियों के अन्तर्गत संचयन, कर्मचारी भविष्य निधि निवेश लेखे को अन्तरित किया गया था, जहां से 1966-67 तक सभी निवेश केन्द्रीय रुप से किये गये थे तथा देयताओं व परिसम्पत्तियों के बीच आंकड़ों में अन्तर उक्त अवधि हेतु निधियों को आपस में मिला देने के कारण ही था। संगठन ने यह भी बताया था कि 1952-53 से पहले तथा उससे आगे की अवधि के लेनदेन के लिए अभिलेख अनुमार्गणीय नहीं थे।

16.9 निवेश (छूटप्राप्त प्रतिष्ठान): छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के न्यासी बोर्ड को, सरकार द्वारा निर्धारित ढंग से नियोक्ताओं से अंशदानों की प्राप्ति की तारीख से निवेश योग्य निधियों का प्रतिमाह दो सप्ताहों की अवधि के भीतर निवेश किया जाना अपेक्षित था। 1985-86 से 1990-91 के दौरान, राशि जो कि न्यासी बोर्ड के पास अनिवेशित रही, का विवरण निम्नवत था:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	प्रतिष्ठानों की संख्या	निवेश की जाने वाली कुल राशि	निवेश की गई राशि	अनिवेशित बची राशि
1985-86	1218	833.24	810.90	22.34
1986-87	1122	996.47	951.56	44.91
1987-88	425	1215.58	1188.42	27.16
1988-89	976	1361.22	1315.83	45.39
1989-90	484	1923.40	1846.24	77.16
1990-91	उ.न.	2646.91	2597.24	49.67

दिल्ली तथा तमिलनाडु क्षेत्र ने बताया कि अनिवेशित राशियां, आवश्यक भुगतानों, जैसे कि कर्जे तथा अंतिम भुगतान तथा उस महीने के अन्त में प्राप्त राशि जो कि महीने की समाप्ति से पहले निवेश नहीं की जा सकती थी की द्योतक थी। मंत्रालय ने कोई अभ्युक्तियां नहीं की (अप्रैल 1992)।

17. मामलों/दावों का निपटान

17.1 भविष्य निधि दावे:- अंतिम भुगतान के दावे, प्राप्ति की तारीख से 20 दिनों के भीतर निपटाये जाने अपेक्षित थे। नीचे सारिणी वर्ष 1985-86 से 1990-91 के लिए प्राप्त दावों, निपटाये गये दावों तथा लम्बित दावों की संख्या दर्शाती है:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त दावे	वापिस किये गये/निरस्त किये गये दावे	निपटान हेतु देय दावे	निपटाये गये दावे	लम्बित दावे
1	2	3	4	5	6	7
1985-86	59,852	6,26,251	1,01,233	5,84,870	5,18,497	66,373
1986-87	66,373	6,57,907	1,09,495	6,14,785	5,48,813	65,972
1987-88	65,972	6,94,719	1,10,596	6,50,095	5,92,002	58,093
1988-89	58,325*	6,92,150	1,14,844	6,35,631	5,81,360	54,271
1989-90	54,271	6,88,261	1,08,861	6,33,671	5,79,716	53,955
1990-91	53955	8,24,518	1,13,595	7,64,878	6,98,513	66,365

* आंकड़े संगठन द्वारा संशोधित ।

31 मार्च 1991 को लम्बित मामलों के विश्लेषण ने दर्शाया कि 56171 मामले दो महीनों तक की अवधि से लम्बित थे तथा 9451 मामले (14 प्रतिशत) दो से छः महीनों से लम्बित थे। 685 मामले छः महीनों से अधिक से लम्बित थे जिसमें से 58 मामले एक वर्ष से अधिक लम्बित थे।

1985-86 से 1990-91 के दौरान 20 दिनों के भीतर केवल 51 से 65 प्रतिशत दावे ही निपटाये थे। 20 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर निपटाये गये मामलों की प्रतिशतता 1985-86 में 57 प्रतिशत से घटकर 1988-89 में 52 हो गई तथा 1990-91 में केवल 65 थी। दिल्ली महाराष्ट्र

तथा उत्तर प्रदेश में नमूना जांच किये गये 960 मामलों में दावों के निपटान में लिया गया समय 24 महीनों तक था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

विलम्ब	मामलों की संख्या				
	दिल्ली	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	पंजाब	तमिलनाडु
20 दिनों से अधिक से 1महीने तक	1	19	-	-	164
1से 2 महीने	13	24	-	-	21
2 से 3 महीने	110	15	-	13	13
3 से 4 महीने	107	28	-	12	3
4 से 5 महीने	113	-	-	6	9
5 से 6 महीने	79	-	-	1	8
6 से 9 महीने	97	-	-	-	5
9 से 12 महीने	41	-	-	2	2
1 से 2 वर्ष	44	-	2	1	2
2 वर्षों से अधिक	3	-	1	-	1
	608	86	3	35	228

दिल्ली क्षेत्र में, दावों की प्राप्ति तथा समय पर निपटारे पर निगरानी रखने हेतु रजिस्टर, अथवा पत्राचार फाइलें अनुरक्षित नहीं की गई थी। इन अभिलेखों के अभाव में, यह स्पष्ट नहीं था कि दावों के समय पर निपटान को कैसे सुनिश्चित किया जा सका।

संगठन ने अगस्त 1990 में बताया कि दावों के तेजी से निपटान हेतु उपायों की एक श्रृंखला लागू की गई थी। क्षेत्रीय आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए यह निदेश दिये गये थे कि दावे 20

दिनों के भीतर निपटाये जायें। दावें प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें, जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा दावे सत्यापित करवाने तथा विसंगतियॉ, यदि कोई हो, तत्काल दूर करने के निदेश दिये गये थे।

17.2 वापिस किये गये मामले: वापिस किये गये/निरस्त किये गये दावों की संख्या 1985-86 में 1.01 लाख से बढ़कर 1990-91 में 1.14 लाख हो गई थी। 1985-86 से 1990-91 के दौरान वर्ष के दौरान प्राप्त दावों की कुल संख्या से ऐसे दावों की प्रतिशतता, 14 से 17 के बीच थी।

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण दावे, दावेदार को उसी दिन अथवा अगले दिन लौटाये जाने अपेक्षित हैं। महाराट्र में नमूना जांच किये गये चार मामलों में, दावे 38 दिनों की अवधि के बाद वापिस किये गये थे। दिल्ली में नमूना जांच किये गये 109 मामलों में से 29,30 दिन से अधिक के बाद वापिस लौटाये गये थे, इनमें से चार मामले 67,70, 124 तथा 224 दिनों के बाद वापिस किये गये थे।

17.3 लेखों का अन्तरण: लेखों के अन्तरण हेतु प्रार्थनापत्र पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये तथा अन्तरण प्रार्थनापत्र की प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर प्रभावित किया जाना चाहिए। 31 मार्च 1991 को, लेखों के अन्तरण हेतु 17,549 आवेदन निपटान हेतु लम्बित थे, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त मामले	अन्तरण हेतु देय मामले	वापिस किये गये/ निरस्त किये मामले	अन्तरित मामले	शेष
1985-86	29,603	1,53,417	1,83,020	12,517	1,32,569	37,934
1986-87	37,934	1,45,411	1,83,345	27,128	1,30,237	25,980
1987-88	25,980	1,62,090	1,88,070	18,311	1,40,890	28,869
1988-89	29,335*	1,62,395	1,91,730	24,695	1,37,167	29,868
1989-90	29,868	1,63,198	1,93,066	25,413	1,41,307	26,346
1990-91	26,346	1,62,788	1,89,134	26,286	1,45,299	17,549

* आंकड़े संगठन द्वारा संशोधित ।

31 मार्च 1991 को लम्बित मामलों के क्षेत्रवार विश्लेषण ने प्रदर्शित किया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लम्बित मामले 3876 थे, इसके बाद महाराष्ट्र में मामलों की संख्या 3572 थी।

संगठन ने विलम्ब के लिए न तो कोई कारण भेजे, न ही विलम्ब कम करने के लिए उठाये गये कदमों की सूचना दी।

17.4 परिवार पेंशन के दावे

1986-87 से 1990-91 तक परिवार पेंशन के बकाया दावों से सम्बन्धित स्थिति निम्नवत थी:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त दावे	वापिस किये गये/ निरस्त किये दावे	प्राप्त दावों से निरस्त किये गये दावों की प्रतिशतता	निपटाये गये दावे	लम्बित दावे
1986-87	71675	593987	144135	24	442090	79437
1987-88	78449*	640463	126724	20	523965	68223
1988-89	68480*	710030	134515	19	583819	60176
1989-90	60107*	674837	139017	21	531952	63975
1990-91	63975	795760	145685	19	644073	69977

* आंकड़े संगठन द्वारा संशोधित

1985-86 के लिए संगठन के पास सूचना उपलब्ध नहीं थी।

कुल लम्बित दावों में से 1623 मामले छः महीनों से एक वर्ष तक से लम्बित थे तथा 30 मामले एक वर्ष से अधिक से लम्बित थे। 19 से 24 प्रतिशत दावे वापिस कर दिये गये थे।

परिवार पेंशन के दावे प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर निपटाये जाने अपेक्षित थे। दिल्ली, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में नमूना जांच किये गये 517मामलों में, दावों के निपटान में लिया गया समय 24 महीनों तक तथा अधिक था, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

विलम्ब	मामलों की संख्या		
	दिल्ली	महाराष्ट्र	तमिलनाडु
6 महीनों तक	284	7	80
6 से 9 महीनों तक	76		11
9 से 12 महीनों तक	27	1	7
1 वर्ष से 2 वर्षों तक	19	-	-
2 वर्षों से अधिक	5	-	-
जोड़	411	8	98

दिल्ली में, दावों की प्राप्ति तथा समय पर निपटाने पर निगरानी रखने के लिये अपेक्षित रजिस्टर, दावों की वापसी इत्यादि से सम्बधित पत्राचार फाइलों का अनुरक्षण नहीं किया। परिणामतः, क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

संगठन ने लम्बित दावों तथा दावों के निपटान में विलम्ब हेतु कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 1992) कि संगठन के ई.डी.पी. कक्ष ने केन्द्रीय कार्यवाही योजना पर सूत्रिबद्ध किया जो कि दावों के निपटान के सभी क्षेत्रों को प्रतिपादित करता है और कार्यवाही योजना के अन्तर्गत निष्पादन, प्रबोधित किया जा रहा है।

17.5 कर्मचारी निक्षेप से जुड़ी बीमा योजना

निम्न सारिणी वर्ष 1985-86 से 1990-91 के लिए प्राप्त, निपटाये गये तथा बकाया दावों की संख्या दर्शाती है:

वर्ष	लम्बित दावे	प्राप्त दावे	वापिस किये गये दावे	निपटाये गये दावे	20दिनों के भीतर निपटाये गये दावे	21से 30 दिनों के भीतर निपटाये गये दावे	लम्बित दावे
1985-86	6926	31065	14017	17005	8610	8395	6969
1986-87	7702*	32841	13769	18940	10398	8542	7834
1987-88	7781*	33302	13358	21515	11774	9741	6210
1988-89	5572*	31564	14321	17201	7912	9289	5614
1989-90	5614	31517	14095	17653	9991	7662	5383
1990-91	5383	30661	15008	17033	9043	7990	4003

* आंकड़े संगठन द्वारा संशोधित।

संगठन ने दावों के अनिर्णय तथा दावों के निपटान में विलम्ब के लिए कारण सूचित नहीं किये थे।

मंत्रालय ने बताया कि संगठन का कार्य निरीक्षण की प्रकृति का है और न्यासी बोर्ड को शीघ्र निपटान करने के परीक्षण के लिए कार्यभार दिया गया है। इसलिए, प्राप्त दावों की संख्या (निर्णीत और लम्बित) के संबंध में उनके पास विस्तृत सूचना नहीं है।

18. विशेष आरक्षित निधि

संगठन ने, उन मामलों में, जहां गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोक्ता, भविष्य निधि अंशदानों को प्रेषित करने में विफल रहे थे, पदयुक्त सदस्यों को भुगतान करने के लिए सितम्बर 1960 में एक विशेष आरक्षित निधि का गठन किया। आरम्भिक रूप से, कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं दोनों के अंशदानों की राशि निधि से दी गई थी जिसकी चूककर्ता नियोक्ताओं से वसूली द्वारा प्रतिपूर्ति

की जानी थी। मार्च 1965 से पदमुक्त सदस्यों को केवल उनकी मजदूरियों से कर्मचारियों का काटा गया हिस्सा दिया जाना था। निधि अपवर्तन लेखे में से वित्तपोषित की गई थी।

1985-86 से 1990-91 के दौरान, 375 लाख रु. की राशि विशेष आरक्षित निधि को अन्तरित की गई थी तथा 267.57 लाख रु. पदमुक्त सदस्यों को दिये गये थे। नियोक्ताओं से वसूली गई राशि केवल 3.29 लाख रु. थी, जो कि इस अवधि के दौरान निधि में से किये गये भुगतानों का लगभग एक प्रतिशत थी। नियोक्ताओं से देय राशि 1985-86 तथा 1990-91 के बीच 180 प्रतिशत तक बढ़ गयी थी तथा 31 मार्च 1991 को 403.68 लाख रु. की एक राशि वसूली जानी शेष थी, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:-

(लाख रु. में)

वर्ष	अथ शेष	अपवर्तन लेखे से अन्तरित	किया गया भुगतान	नियोक्ताओं से वसूली योग्य कुल राशि	नियोक्ताओं से वसूली गई राशि	नियोक्ताओं से वसूली जाने वाली राशि
1985-86	139.40	-	9.89	149.29	0.71	148.58
1986-87	148.58	125.00	54.71	203.29	0.19	203.10
1987-88	203.10	-	118.82	321.92	1.31	320.61
1988-89	320.61	250.00	23.79	344.40	0.01	344.39
1989-90	344.39	-	39.01	383.40	0.24	383.16
1990-91	383.16	-	21.35	404.51	0.83	403.68
		375.00	267.57		3.29	

चूककर्ता नियोक्ताओं अर्थात सरकारी उपक्रमों, निजी क्षेत्र अथवा नियोक्ताओं की संख्या, जिनसे राशि वसूल की जानी थी, के श्रेणी-वार विवरण उपलब्ध नहीं थे। 403.68 लाख रु. की वसूली योग्य राशि का वर्षवार विवरण उपलब्ध नहीं था।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 1992) कि आरक्षित निधि से भुगतान, केवल उन मामलों में

सम्बन्धित है जहां प्रतिष्ठान परिसमापन, समापन आदि के अन्तर्गत हैं, और यद्यपि निधि में से भुगतान किए गए धन की वसूली दरें, सदैव निम्न रहेंगी।

19. दावा न किये गये निक्षेप लेखे

अंतिम भुगतान हेतु देय, परन्तु एक वर्ष से अधिक से दावा न किये गये भविष्य निधि संचय, प्रतिवर्ष 31 मार्च को वार्षिक रुप से दावा न किये गये निक्षेप लेखे को अन्तरित किये जाने हैं। वर्ष 1985-86 से 1990-91 के दौरान अन्तरित की गयी, अदा की गई तथा दावा न की गई पड़ी हुई राशियों के विवरण निम्न प्रकार हैं:-

(लाख रु. में)

वर्ष	अथ शेष	अन्तरित राशि	समायोजित राशि	दावा न की गई पड़ी हुई राशि
1985-86 तक	1444.16	199.61	15.18	1628:59
1986-87	1628.59	436.48	26.14	2038.93
1987-88	2038.93	588.89	45.05	2582.77
1988-89	2582.77	1235.55	57.10	3761.22
1989-90	3761.22	3471.23	174.48	7057.97
1990-91	7057.97	610.63	109.60	7559.00

दिल्ली, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालयों में लेजर कार्डो का आवधिक पुनरीक्षण सुव्यवस्थित रुप से नहीं किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय तमिलनाडु में, वार्षिक लेखो की तैयारी के समय पर, मामले, जिनमें तीन वर्षो की निरन्तर अवधि के लिए अंशदान प्राप्त नहीं किये गये थे, दावा न किये गये निक्षेप लेखे को अन्तरण हेतु अभिज्ञीत किये गये थे।

संगठन ने अक्तूबर 1990 में बताया कि प्रापकों को ढूंढने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रयत्न किये जा रहे थे। उत्तर के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया था। पंजाब में,

सितम्बर 1988 के महीने में दो दैनिक समाचार पत्रों में समाचार विज्ञापन दिये गये थे।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 1992) कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को, लेजर कार्डों का सुव्यवस्थित पुनरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था।

20. ब्याज उचन्त लेखा

20.1 संगठन द्वारा अपनाए गए लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, सभी ब्याज, किराया तथा अन्य आय, जैसा भी मामला हो, को "ब्याज उचन्त लेखा" के नाम से जाने वाले लेखे में क्रेडिट या डेबिट किया जाएगा जिसे वार्षिक लेखों को बन्द करने के समय सदस्यों को वितरित कर दिया जाएगा। यह देखा गया कि 31 मार्च 1991 को संगठन द्वारा कराई गई 2998.45 करोड़ रु. की ब्याज की भारी राशि "ब्याज उचन्त लेखे" में उपलब्ध थी। 1985-86 से 1990-91 का विवरण इस प्रकार था:-

(करोड़ रु.में)

वर्ष	पिछले तुलन पत्र के अनुसार राशि	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	जोड़	अभिदाताओं के खातों में क्रेडिट की गई राशि	शेष
1985-86 तक	1225.29	529.02	1754.31	281.43	1472.88
1986-87	1472.88	659.43	2132.31	300.63	1831.68
1987-88	1831.68	801.53	2633.21	754.35	1878.87
1988-89	1878.87	937.73	2816.60	550.57	2266.03
1989-90	2266.03	1108.20	3374.23	626.81	2747.42
1990-91	2747.42	1297.49	4044.91	1046.46	2998.45

"ब्याज उचन्त लेखे" के अन्तर्गत संचय में वृद्धि अभिदाताओं के लेखों के सामंजस्य में भारी बकाया के कारण हुई थी। 1700.96 करोड़ रुपए के ब्याज के संचय के शेष, जो कि मार्च 1991 तक

अभिदाताओं के लेखों में क्रेडिट होना था, के वर्ष-वार ब्यौरों को दर्शाने के लिए केन्द्रीय कार्यालय में कोई अभिलेखे नहीं रखे गए थे। दिल्ली क्षेत्र में व्यक्तिगत अभिदाताओं के क्रेडिट पर प्रभारित किये गए व्याज की राशि को दर्शनि के लिए निर्धारित ब्याज उचन्त रजिस्टर उपयुक्त रुप से बनाया नहीं गया था, इसके परिणामस्वरुप प्रत्येक माह केन्द्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किये गए ब्यौरे तथा वे जो कि क्षेत्रीय तुलनपत्र में दर्शाये गये थे विश्वसनीय नहीं थे।

दिल्ली तथा पंजाब के क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि प्रतिष्ठानों से प्रेषण प्राप्त न होने के कारण बहुत से लेखों में ब्याज को क्रेडिट नहीं किया गया था। 1989-90 के दौरान पंजाब में 9.52 लाख में से 2.58 लाख लेखों (27 प्रतिशत) तथा दिल्ली में 3.43 लाख में से 1.63 लाख लेखों(48 प्रतिशत) में ब्याज क्रेडिट नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, पंजाब में संगठन में आंतरिक बकायों के कारण 0.85 लाख लेखों (9 प्रतिशत) का ब्याज क्रेडिट नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 1992) कि लेखे कम्प्यूटर पर बनाये जा रहे थे तथा ब्याज उचन्त लेखा काफी हद तक ठीक कर लिया जायेगा। उसने आगे बताया कि ब्याज उचन्त लेखा रजिस्टर को ठीक प्रकार से अनुरक्षित करने हेतु क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को अनुदेश जारी किये गये थे।

20.2 **छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा ब्याज की कम दरों की घोषणा:-** छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में भविष्य निधि संगठन द्वारा ब्याज की दर 1985-86 से 1990-91 वर्षों के लिए 10.15 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत के बीच घोषित की गई थी।

संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार (प्रत्येक वर्ष के मई माह में किये गए चुनिंदा सर्वेक्षण के आधार पर बताया गया) 1985-86 में 1449 प्रतिष्ठानों में से 819 (57 प्रतिशत), 1986-87 में 1420 प्रतिष्ठानों में से 542 (38 प्रतिशत), 1987-88 में 1151 प्रतिष्ठानों में से 340 (30 प्रतिशत), 1988-89 में 1547 प्रतिष्ठानों में से 399 (26 प्रतिशत), 1989-90 में 1319 प्रतिष्ठानों में से 232 (25 प्रतिशत), 1990-91 में 2316 प्रतिष्ठानों में से 258 (11 प्रतिशत) ने सरकार द्वारा घोषित संवैधानिक ब्याज दरों से कम ब्याज की दरें घोषित की थीं। इन प्रतिष्ठानों द्वारा ब्याज की कम दरों की घोषणा के कारण मुख्य रुप से निम्नलिखित बताये गए थे:-

(i) यद्यपि कम लाभ प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों को अधिक लाभ प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों में बदलने के लिए परिवर्तन सुविधायें उपलब्ध हैं परन्तु निधियों को पूंजीगत हानि के कारण, छूटप्राप्त प्रतिष्ठान इसका लाभ उठाने में असमर्थ रहे।

(ii) सेवा निवृत होने वाले/ छोड़कर जाने वाले सदस्यों के भविष्य निधि संचय के निपटारे/ अन्तरण के लिए भारी राशि की आवश्यकता थी।

(iii) पहली जनवरी 1990 से क.भ.नि. योजना से जाब्ता प्रावधान समाप्त कर दिये गए थे तथा ब्याज की उच्च दर को घोषित करने हेतु जब्त राशि के किसी भाग को प्रयोग में लाने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

(iv) कुछ मामलों में प्रतिभतियों पर ब्याज की वसूली में बहुत विलम्ब हो गया था और उगाहे न गए ब्याज के कारण निदेश न होने से निवेश की वापसियां कम हो गई जिसके परिणामस्वरुप ब्याज की कम दर हुई।

21. लेखों का वार्षिक विवरण

21.1 गैर छूट प्राप्त प्रतिष्ठान: प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात आने वाले वर्ष के 30 सितम्बर तक, संगठन द्वारा नियोक्ता के माध्यम से प्रत्येक सदस्य को उसके लेखों का विवरण भेजा जाना था।

1990-91 के दौरान वर्ष के अन्त तक 117.33 लाख लेखा विवरणों के शेष को छोड़ते हुए 279.78 लाख विवरणों के प्रति 162.45 लाख लेखा विवरण जारी हुए थे। लम्बित विवरणों का वर्षवार व्यौरा संगठन के पास उपलब्ध नहीं था। कुल मामलों में जिनमें लेखा विवरण जारी नहीं किए गये थे। 77.86 लाख लेखा विवरण नियोक्ताओं द्वारा वांछित विवरणियां प्रस्तुत न करने तथा शेष 39.47 लाख विवरण प्रशासनिक कारणों से लम्बित पड़े थे। 1985-86 से 1990-91 तक लेखा विवरणों का विस्तृत व्यौरा इस प्रकार था :-

(आंकड़े लाखों में)

वर्ष	जारी किये जाने वाले विवरणों की संख्या	वर्ष के दौरान जारी किये गए विवरणों की संख्या	जारी करने हेतु लम्बित विवरणों की संख्या								लम्बित प्रतिशतता
			नियोक्ता की गलती के कारण	प्रशासनिक कारणों से	जोड़	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-4 वर्ष	4 वर्षों से अधिक	
1	2	3	4(क)	4(ख)	4(ग)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	5(ड़)	6
1985-86	200.67	109.75	60.20	30.72	90.92	47.77	20.70	10.23	5.97	6.25	45
1986-87	205.94	108.22	63.17	34.55	97.72	47.48	24.83	12.29	6.19	6.93	47

1987-88	270.43	126.28	74.60	69.55	144.15	54.80	35.06	20.67	13.63	19.99	53
1988-89	271.18	123.97	77.82	69.39	147.21	58.99	30.14	21.26	10.08	26.74	54
1989-90	279.55	143.02	76.11	60.42	136.53	55.00	29.10	17.65	12.40	22.38	49
1990-91	279.78	162.45	77.86	39.47	117.33	49.30	25.66	23.66	8.23	10.48	42

इस प्रकार 1985-86 से 1990-91 के दौरान 42 से 54 प्रतिशत तक विवरण लम्बित रहे। 31 मार्च 1991 को एक वर्ष से कम के लिये 49.30 लाख विवरण एक से दो वर्षो के लिये 25.66 लाख, दो से तीन वर्षो के लिये 23.66 लाख, तीन से चार वर्षो हेतु 8.23 लाख तथा चार से अधिक वर्षो के लिये 10.48 लाख् विवरण नहीं भेजे गये थे। 31 मार्च 1991 को कुल जारी किये जाने वाले 117.33 लाख विवरणों में से महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल क्रमशः 32.81 लाख लेखा विवरणों (28 प्रतिशत) तथा 30.29 लाख लेखा विवरणों (26 प्रतिशत) से 54 प्रतिशत मामले लेखाबद्ध हुए जो कि जारी नहीं किये गए।

संगठन ने बताया (अगस्त 1991) कि लम्बन नियोक्ताओं द्वारा वांछित विवरणियां प्रस्तुत न करने के कारण था तथा नियोकताओं से विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए सीधे अनुरोध करने के अतिरिक्त समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये गए थे। चूककर्ता नियोक्ताओं को, विवरणियां प्रस्तुत न करने के मामले में दण्डात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी गई थी। क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखा शाखाओं पर सख्ती कर दी गई थी तथा क्षेत्रीय आयुक्त को सम्बधित कर्मचारियों जिनका निष्पादन निश्चित मात्रा से 75 प्रतिशत से नीचे था उनके प्रति कार्यवाही करने की सलाह दी गई थी।

अनुमान समिति ने अपनी 25 अप्रैल 1989 की रिपोर्ट में अधिक लम्बन पर चिन्ता व्यक्त की तथा यह अनुभव किया कि यह संगठन के कार्यकलापों के मामले में असन्तोषजनक स्थिति का सूचक थी। समिति का यह विचार था कि संगठन को एक समयबद्ध योजना तैयार करनी चाहिए जिसका उचित रुप से उच्च स्तर पर समय-समय पर प्रबोधन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक विशेष वर्ष के लिए लेखा विवरण आने वाले साल के 30 सितम्बर तक, अभिदाताओं को आपूरित किये गये थे तथा तदनुसार सारे बकाये समाप्त हो गये थे।

(ख) वार्षिक शेष का प्रतिष्ठानों के लेखों के साथ सामंजस्य

तुलन पत्र में दिखाये गए अंशदान तथा सदस्यों को वापसियों, अग्रिमों के रुप में दिखाये गए

आंकड़ों की रोकड़ रसीद तथा भुगतानों के संदर्भ में, जैसा कि रोकड़ बड़ी में प्रविष्टि की गई हो तथा वास्तव में सदस्य के लैजर कार्ड में दर्ज किया गया हो, से सत्यता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से संगठन को इस आंकड़ों को "अभिदाताओं का समेकित शेष संकलन विवरण" लेखों का वार्षिक विवरण शीर्षक के विशेष प्रोफार्मा से सामंजस्य करना अपेक्षित था।

दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय में इस प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं किया जा रहा था इसलिये यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अंशदान के रूप में प्राप्त राशियों तथा सदस्यों को भुगतान की गई राशियों को संगठन के लेखों में उचित सब में लेखाबद्ध किया गया है। लेखों के सांमजस्य न करने के कारण सूचित नहीं किये गये थे (अप्रैल 1992)। मंत्रालय ने अप्रैल 1992 में बताया कि दिल्ली क्षेत्र द्वारा अनुपालना के लिए अनुदेशों को नोट कर लिया गया है ।

21.2 छूट प्राप्त प्रतिष्ठान

1990-91 के लिए 43.63 लाख विवरण जारी किये जाने के प्रति छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा 14.74 लाख विवरण जारी किये गये थे। 1986-87 से 1990-91 के वर्षों का विवरण निम्न प्रकार था:

(आंकड़े लाखों में)

वर्ष	जारी की जाने वाली पर्चियों की संख्या	जारी की गई	शेष, जो जारी किया जाना था	लम्बन की प्रतिशतता	लम्बन का ब्यौरा				
					एक वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2से3 वर्ष	3से4 वर्ष	4 वर्षों से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1986-87	53.58	32.01	21.57	40	10.68	4.37	2.79	1.70	2.03
1987-88	49.55	26.11	23.44	47	14.03	5.03	1.87	1.00	1.51
1988-89	96.24	70.78	25.46	26	17.13	4.10	2.08	1.34	0.81
1989-90	44.92	24.70	20.22	45	संगठन के पास सूचना उपलब्ध नहीं है				
1990-91	43.63	14.74	28.89	66	26.29	1.05	0.53	0.49	0.53

1985-86 के लिए सूचना संगठन द्वारा भेजी नहीं गई थी।

संगठन ने सितम्बर 1991 में बताया कि लम्बन इस कारण था कि कुल 2907 छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में से 148 प्रतिष्ठानों ने भविष्य निधि दातव्यों को अपने न्यासी बोर्डो को अन्तरित करने में चूक की। इस मामले में मंत्रालय ने कोई टिप्पणी पेश नहीं की (अपैल 1992)।

22. भविष्य निधि संचयनों का संवैधानिक निधि से छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को अन्तरण

एक प्रतिष्ठान को छूट दिये जाने के कारण पिछले संचयन को, संवैधानिक निधि से छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के न्यासियों को अन्तरित किया जाना था।

दिल्ली क्षेत्र में नमूना जांच किये गये 273 मामलों में से 236 में 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा के प्रति विलम्ब एक वर्ष तक की अवधि का तथा 37 मामलों में दो से अधिक वर्षों का था।

दिल्ली क्षेत्र में नमूना जांच किये गए चार मामलों में पिछले संचय को अन्तरित करने में तीन वर्षों तक का विलम्ब था।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 1992) कि प्रतिष्ठान सामान्यतया यथा समय सूचित नहीं करते हैं जिससे भविष्य निधि संचयों के अन्तरण में विलम्ब होता है तथा कि पिछले संचयी विवरणों के जारी करने में तात्कलिकता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

मद्रास निगम को पहली अगस्त 1984 से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी परिवार पैन्शन योजना से छूट प्राप्त हुई थी। दिसम्बर 1989 में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को 31 मार्च 1988 को अभिदाताओं के खाते में पड़ी राशि के आधार पर पिछले संचय को अन्तरित करने के निदेश दिये। 31 मार्च 1988 तक ब्याज सहित कर्मचारी भविष्य निधि संचय को दशनि वाली 11.70 करोड़ रुपये की राशि में से दिसम्बर 1991 को, अन्तरित किये जाने वाली लगभग 17 लाख रु. की शेष राशि को छोड़कर 11.53 करोड़ रुपए की राशि अन्तरित कर दी गई थी।

23 निरीक्षण

23.1 गैर छूट प्राप्त प्रतिष्ठानः अधिनियम के अन्तर्गत आवृत होने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान का, योजना के प्रभावपूर्ण एवं उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाना था, एक प्रतिष्ठान (छूट प्राप्त अथवा गैर छूट प्राप्त)का कम से कम चार माह में एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए।

मार्च 1988 में गैर छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के मानक संशोधित किये गये तथा संशोधित मानक के अनुसार 100 कर्मियों से कम को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान का निरीक्षण वर्ष में दो बार जबकि अन्य छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों का चार बार किया जाना था।

एक निरीक्षक/प्रवर्तन अधिकारी द्वारा एक महीने में न्यूनतम 42 निरीक्षण किये जाने निर्धारित थे। निरीक्षक/प्रवर्तन अधिकारी को छूट की शर्तों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। उससे भुगतान न करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध न्यायालय कार्यवाहियां प्रारम्भ करना तथा उनको पूरा होने तक मामलों को आगे बढ़ाना अपेक्षित है।

1985-86 से 1987-88 के दौरान किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या तथा वास्तव में किये गयों की संख्या निम्नवत थी :

(संख्या लाखों में)

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में आवृत प्रतिष्ठानों की संख्या	किये जाने के लिये अपेक्षित निरीक्षण	किये गये निरीक्षणों की संख्या	कमी	
				संख्या	प्रतिशतता
1985-86	1.54	4.62	2.80	1.82	40
1986-87	1.58	4.74	2.78	1.96	41
1987-88	1.66	4.98	3.12	1.86	37

1985-86 से 1987-88 के दौरान निरीक्षण में कमी, 37 से 41 प्रतिशत के बीच थी। वर्ष 1988-89 तथा 1990-91 के लिए निरीक्षणों में कमी का सुनिश्चय नहीं किया जा सका, क्योंकि वे जिनमें 100 मजदूरों से कम वाले तथा वे जिनमें 100 मजदूरों से अधिक थे के बीच प्रतिष्ठानों के विवरण संगठन के पास उपलब्ध नहीं थे।

प्रतिमाह प्रति निरीक्षक किये जाने वाले अपेक्षित 42 निरीक्षणों के मानदण्ड के प्रति, 1989-90 के दौरान वास्तव में किये गये निरीक्षणों की संख्या निम्नवत थी:-

निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षको की संख्या	
	1989-90	1990-91
41-45	240	187
31-40	250	393
21-30	200	118
20 तथा कम	10	10

1989-90 तथा 1990-91 के दौरान क्रमशः लगभग 66 तथा 74 प्रतिशत निरीक्षकों ने निर्धारित संख्या में निरीक्षण नहीं किये। संगठन ने कमी को निम्न पर आरोपित किया:

- न्यायालय में मुकदमों में लगे निरीक्षकों
- आवृति के उद्देश्य हेतु कारखानों का सर्वेक्षण करने में व्यस्त निरीक्षकों
- प्रतिष्ठानों का बन्द होना हड़ताल अथवा तालाबन्दी और
- नैत्यिक विवरणियों के संग्रहण के लिए निरीक्षकों के विपथन।

ये निरीक्षकों के नियमित निर्धारित कर्त्तव्यों का हिस्सा थे, संगठन का उत्तर तर्कसंगत नहीं था।

561 मामलों (दिल्ली 540, बिहार 3, तमिलनाडु 18) की नमूना जांच ने प्रकट किया कि कुछ प्रतिष्ठान 9 से 60 महीनों के बीच की अवधियों के लिए बिना निरीक्षण किये रहे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

अवधि	प्रतिष्ठानों की संख्या		
	दिल्ली	बिहार	तमिलनाडु
9 से 12 महीने	-	-	-
12 से 24 महीने	213	1	16

25 से 36 महीने	51	1	2
37 से 48 महीने	33	-	-
49 से 60 महीने	25	1	-
जोड़	322	3	18

पंजाब क्षेत्र के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी। 31 मार्च 1990 को, उत्तर प्रदेश में 1635 प्रतिष्ठान थे, जिनका 9 महीनों से अधिक से निरीक्षण नहीं किया गया था।

दिल्ली क्षेत्र में आवृत प्रतिष्ठानों के निरीक्षण रजिस्टरों को निर्धारित प्रपत्र में अनुरक्षित नहीं किया गया था। (i) प्रतिष्ठान का नाम व पता तथा (ii) कर्मचारियों/अंशदाताओं की संख्या, के निमित कॉलमों को रजिस्टर में स्थान नहीं दिया गया था।

तमिलनाडु क्षेत्र में "रोस्टर" नामक एक संयुक्त रजिस्टर का अनुरक्षण किया गया था। आवृत प्रतिष्ठानों के रजिस्टर तथा आवृत प्रतिष्ठानों के निरीक्षण रजिस्टर को निर्धारित प्रपत्र में अलग से अनुरक्षण नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने निम्न प्रकार बताया (अप्रैल 1992) :

- दिल्ली में निरीक्षणों में विलम्ब वहां हुआ जहां पर प्रतिष्ठानों ने अपने मुख्यालयों को एक परिसर से दूसरे परिसर में बदला।
- बिहार क्षेत्र में, प्रतिष्ठानों के बन्द होने/ताला बन्दी के कारण निरीक्षण नहीं किया जा सका। निरीक्षणों की कम संख्या के लिये कुछ प्रवर्तन अधिकारियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई थी।
- तमिलनाडु में प्रवर्तन अधिकारियों पर प्रतिष्ठानों में समय पर दौरा करने के लिए दबाव डाला गया था।

पंजाब में सम्वेदनशील, दूरवर्ती तथा अशांत क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में विलम्ब हुआ था।

अनुमान समिति ने अपनी रिपोर्ट (अप्रैल 1989) में अवलोकित किया कि निरीक्षणों की गुणवत्ता पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि संदिग्ध मामलों तथा

काफी समय से भुगतान न कर रहे प्रतिष्ठानों के मामले में, संबंधित प्रर्वतन अधिकारी को अधिक सावधान रखने तथा अधिनियम के सख्ती से प्रवर्तन में संगठन की सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्त स्तर के निरीक्षण, होने चाहिये।

23.2 छूट प्राप्त प्रतिष्ठान: भविष्य निधि निरीक्षक को छूट की निर्धारित शर्तो की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए एक वर्ष में तीन बार छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों का निरीक्षण अपेक्षित था।

महाराष्ट्र में 7 प्रतिशत, पंजाब में 46 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में 44 प्रतिशत की कमियों का पता लगा। दिल्ली में नमूना जांच किये गये 135 प्रतिष्ठानों में से 133 में एक से चार वर्षो तक निरीक्षण नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश में 1989-90 के दौरान 166 प्रतिष्ठानों में से 58 का निरीक्षण नहीं किया गया था; 31 मार्च 1990 को इनमें से 16 का एक से दो वर्षो तक से निरीक्षण नहीं किया गया था। जबकि, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तथा दिल्ली क्षेत्रों ने निरीक्षण की कमी के लिए कोई कारण नहीं बताये थे, क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब ने निरीक्षण में कमी को राज्य में दंगा ग्रस्त परिस्थितियों पर आरोपित किया।

24. निर्माण कार्य

(i) संगठन ने कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु 12 क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 1968 से 1990 के बीच भूमि खरीदी थी। इसमें से, 11 स्थानों पर भूमि की लागत 134.48 लाख रु. थी, एक स्थान पर भूमि की लागत का राज्य सरकार द्वारा निर्णय नहीं किया गया था। निर्माण कार्य अभी भी प्रारम्भ किया जाना था (फरवरी 1992) । इसके परिणामस्वरुप 134.48 लाख रु. की निधियों का अवरोधन हुआ। संगठन ने विलम्ब के लिए विशिष्ट कारण अग्रेषित नहीं किये अपितु बताया (फरवरी 1992) कि मामला प्रक्रियाधीन था। मंत्रालय ने विलम्ब को अन्तर्ग्रस्त विभिन्न समय लेने वाले कदमों पर आरोपित किया (अप्रैल 1992)। यह आश्चर्यजनक है कि कतिपय मामलों में इन्होंने 24 वर्षो से अधिक का समय लिया है।

(ii) संगठन ने 1985-86 से 1989-90 के दौरान अमृतसर, फरीदाबाद, हैदराबाद, कोटा तथा वाराणसी में कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) को सौंपा था। संगठन ने वर्ष 1987-88 से 1990-91 के दौरान के.लो.नि.वि. के पास 160.82 लाख रु. जमा किये। जमा की राशि अंतिम शीर्ष को प्रभारित की गई थी। संगठन के केन्द्रीय कार्यालय ने निर्माण कार्य की प्रगति का प्रबोधन नहीं किया तथा के.लो.नि.वि. द्वारा किये गये व्यय, प्रयोग में लाई गई राशि, अप्रयुक्त पड़ी राशि, प्रत्येक निर्माण कार्य की प्रगति इत्यादि से संबंधित

कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

(iii) **किराये पर व्यय:** संगठन ने 1985-86 से 1990-91 तक के पिछले छः वर्षों के दौरान किराये के भवनों में चल रहे 16 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्रीय कार्यालय के लिए किराया दरों तथा करों के लिए 1257.55 लाख रु. का व्यय किया। किराये पर व्यय 1985-86 में 141.48 लाख रु. से बढ़कर 1990-91 में 303.84 लाख रु. (115 प्रतिशत) हो गया।

किराये के भवनों पर किराये, दरों तथा करों के सम्पात को न्यूनतम करने के लिए संगठन द्वारा अपने स्वयं के भवन बनाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया था।

अनुमान समिति ने अपनी रिपोर्ट में (अप्रैल 1989) सुझाव दिया कि संगठन द्वारा व्यय में यथेष्ट बचत करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों पर अपने स्वयं के भवन बनाने चाहिये। ऐसे स्थानों पर, जहां भू-परिसर पहले से अधिप्राप्त कर रखे थे, कार्यालय भवन बनाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

(iv) **कलकत्ता कार्यालय भवन का निर्माण:** संगठन ने क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता के लिए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 1968 में 3.50 लाख रु. में 6500 वर्ग फुट माप का एक भूखंड खरीदा। जुलाई 1984 में संगठन ने चार दिवारी का निर्माण करने का निर्णय किया तथा अक्तूबर 1984 में के.लो.नि.वि. के पास 0.51 लाख रु. की राशि जमा की। के.लो.नि.वि. ने अक्तूबर 1984 में सूचित किया कि भूखंड कुछ अनाधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में था। भूमि, पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता से नवम्बर 1990 मे खाली करवाई गई थी तथा 1.75 लाख रु. की लागत से चार दिवारी खड़ी की गई । भूमि इसकी खरीद के समय से अप्रयुक्त पड़ी थी, परिणामस्वरूप निधि (3.50 लाख रु.) का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त,अक्तूबर 1984 में के.लो.नि.वि. के पास जमा 0.51 लाख रु. की राशि अभी भी (मार्च 1991) के.लो.नि.वि. से वापिस ली जानी थी।

(v) **इन्दौर में कार्यालय भवन तथा कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण:** संगठन ने, तीन मंजिलें कार्यालय भवन तथा 55 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए इन्दौर में अप्रैल 1966 में 0.53 लाख रु. की लागत से 4.188 एकड़ माप का एक भू-खण्ड खरीदा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्माण कार्य त्रुटियों व कमियों से रहित था, आरेखण तथा डिजाइन तैयार करने, योजना और पर्यवेक्षण हेतु एक वास्तुविद नियुक्त किया गया था। अन्य सभी क्रियाकलाप जैसे- ठेकेदार तथा दरों के अनुमोदन, बिलों की तैयारी इत्यादि भी वास्तुविद को सौंपी गई थी।

वास्तुविद ने अक्तूबर 1973 में निविदाएं आमंत्रित की तथा अप्रैल 1974 में 26.68 लाख रु. की अनुमानित लागत से ठेकेदारों की एक फर्म को निर्माण कार्य आबंटित कर दिया, जो कि निर्माण के परिसर पर 10 फुट तक काली कपास मिट्टी की गहराई के कारण 40.45 लाख रु. तक बढ़ गया।

जब निर्माण कार्य समाप्त होने के करीब था, जून 1976 में कार्यालय भवन में बड़ी दरारें पैदा हो गई जिन्हें कि वास्तुविद द्वारा अप्रत्याशित वर्षा पर आरोपित किया गया था तथा निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया था। कार्यालय भवन के लिए अदा किये गये 10.00 लाख रु. को शामिल करते हुए ठेकेदार को 42.73 लाख रु. का कुल भुगतान पहले ही कर दिया गया था। मार्च 1977 में संगठन द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने जनवरी 1978 में रिपोर्ट दी कि भारी मात्रा में क्षतियां, अपर्याप्त अवसंरचनात्मक डिजाइनों के कारण हुई थी तथा 3.5 लाख रु. की अनुमानित लागत से मरम्मत की सलाह दी। तथापि, वास्तुविद का पता नहीं लगा। संगठन ने अन्ततः जुलाई 1986 में कार्यालय भवन गिरा देने का निर्णय लिया तथा 2.17 लाख रु. की लागत से गिरा देने का कार्य एक अन्य ठेकेदार को मई 1989 में सौंप दिया। कुछ छोटे कार्यों को छोड़कर मुख्य भवन को गिराने का कार्य पूरा हो गया बताया गया था (जून 1991)।

स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का कार्य निविदा दरों से 70 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत ऊपर पर पुनः प्रारम्भ किया गया था, जो कि फरवरी 1985 में, सिविल तथा विद्युतीय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में उक्त निविदा दरों से क्रमशः 320 प्रतिशत तथा 300 प्रतिशत ऊपर संशोधित किया गया था। नगर निगम, इन्दौर ने, कार्यालय भवन को गिराये बिना क्वार्टरों के अधिभोग की अनुमति देने से इन्कार कर दिया (फरवरी 1988)।

इस प्रकार से, कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों (2.58 लाख रु. के लम्बित दावों सहित) पर 55.37 लाख रु. का व्यय करने तथा 14 वर्षों से अधिक की अवधि व्यतीत होने के बाद, जून 1991 तक क्वार्टरों का कब्जा नहीं लिया जा सका। इसके परिणामस्वरुप, जनवरी 1986 से मार्च 1991 के बीच क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते (9.45 लाख रु.) तथा कार्यालय आवास के लिए चार किराये के कार्यालय भवनों हेतु किराये (39.77 लाख रु.) के रुप में 49.22 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, गिराये गये कार्यालय भवन, जिसमें दरार पड़ गई थी (जून 1976) पर 10 लाख रु. का निष्फल व्यय किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 1992) कि निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा आबंटन पत्र अब जारी कर दिये गये थे।

25. प्रतिष्ठान

(I) प्रशासकीय निरीक्षण:

वर्ष 1985-86 से 1989-90 के दौरान किये जाने अपेक्षित तथा वास्तव में किये गये निरीक्षणों की संख्या के विवरण निम्नवत थे:-

वर्ष	किये जाने अपेक्षित निरीक्षणों की संख्या	वास्तव में किये गये निरीक्षणों की संख्या	कमी	प्रतिशतता
1985-86	34	15	19	56
1986-87	38	19	19	50
1987-88	42	23	19	45
1988-89	29	7	22	76
1989-90	16	9	07	44

कमी 44 प्रतिशत से 76 प्रतिशत के बीच थी। 1985-90 के दौरान, दो क्षेत्रों (आंन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश) में पांच वर्षो में से चार में तथा दो अन्य क्षेत्रों (दिल्ली तथा केरल) में तीन वर्षो में से दो में कोई प्रशासकीय निरीक्षण नहीं किया गया था। 1985-90 के दौरान, दो वर्षो में, गुजरात, मद्रास उड़ीसा तथा पंजाब में प्रशासकीय निरीक्षण नहीं किये गये थे। महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में, किये जाने अपेक्षित 21 तथा 20 के प्रति किये गये निरीक्षणों की संख्या क्रमश: 12 तथा 8 थी।

मंत्रालय ने अप्रैल 1992 में बताया कि 1985-86 से 1988-89 के दौरान, उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासकीय निरीक्षण, प्रशासकीय नियंत्रणों के कारण पूरे नहीं किये जा सके, 1988-89 से उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकतर प्रशासकीय निरीक्षण, क्षेत्रों के प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को सौंपे गये थे। पहले, उत्तर प्रदेश में, कुछ मामलों में निरीक्षणों में विलम्ब था, परन्तु अब नियमित रूप से निरीक्षण करने के प्रयास किये जा रहे थे तथा तीन उप क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासकीय निरीक्षण, क्षेत्रीय आयुक्त की प्रशासकीय पूर्व व्यस्तता के कारण नहीं किया जा सके।

26. आंतरिक लेखा परीक्षा

वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के नियंत्रण के अन्तर्गत संगठन के क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखों की आन्तरिक लेखापरीक्षा करने के उत्तरदायित्व के साथ, केन्द्रीय कार्यालय में, संगठन के प्रारम्भ के समय से ही एक स्थायी आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र कार्यरत था।

मंत्रालय ने अप्रैल 1992 में बताया कि वर्ष 1989-90 तक शिलांग तथा जलपाईगुड़ी उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को छोड़कर सभी क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी कर ली गई थी। आगे, वर्ष 1990-91 के लिए सभी क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा या तो पूरी कर ली थी अथवा 31 मार्च 1992 तक कार्यक्रम में प्रावधान कर लिया गया था।

31 दिसम्बर 1991 को, 5088 पैराग्राफ (1969-70 से 1989-90तक) बकाया थे। बकाया पैराग्राफों की अवधि-वार स्थिति निम्नवत थी:

अवधि	बकाया पैराग्राफों की संख्या	कुल बकायों से प्रतिशतता
15 वर्षों से अधिक	76	1
10 वर्षों से अधिक 15 वर्षों तक	251	5
5 से 10 वर्षों से अधिक	670	13
1 से 5 वर्षों के बीच	4091	81
जोड़	5088	100

संगठन ने सितम्बर 1991 में बताया कि अधिकतर पैरों में, अधिक भुगतान की वसूली की अन्तर्ग्रस्त राशि केवल 25 रु. से 50 रु. तक थी। पुराने मामलों में, अंशदाता प्राप्य नहीं थे,तथा इस

प्रकार ऐसे पैरे बकाया थे। उन मामलों में जहां अधिक भुगतान समीक्षा समिति द्वारा उत्तरदायित्व निश्चित कर दिये थे, राशि की वसूली करने के प्रयत्न किये जा रहे थे।

27. अन्य रुचिकर बातें

तमिलनाडु क्षेत्र में निम्नलिखित कमियों/अनियमितताओं का पता लगा था:

(i) **मकान किराया भत्ते का अधिक भुगतान:** संगठन ने मकान किराया भत्ते की स्लैब दर को अपनाया, जैसा कि 1 अप्रैल 1986 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू है। तथापि, अधिकतम सीमा लागू किये बिना, कर्मचारियों और अधिकारियों को संशोधित वेतनमान पर 25 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता दिया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय में अनुपूरक बिलों की जांच ने प्रकट किया कि 1.88 लाख रु. के मकान किराया भत्ते के बकाया का आधिक्य में दावा हुआ तथा भुगतान किया गया। क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालय के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को मकान किराया भत्ते के वास्तविक अधिक भुगतान का, निर्धारण नहीं किया गया तथा वसूली नहीं की गई थी (दिसम्बर 1990)।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 1992) कि आधिक्य में दी गई राशि की मात्रा की गणना करने तथा इसे जनवरी 1992 के बिल से वसूली करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे थे। तथापि, 1.08 लाख रु के अधिक भुगतान के फरवरी 1992 से प्रारम्भ दस बराबर किस्तों में वसूली हेतु आदेश दिया गया था।

1 अप्रैल 1986 से पहले मकान किराया भत्ते के बकायों के भुगतान के सम्बन्ध में,किराया रसीदों के सत्यापन तथा सरकार द्वारा निर्धारित विद्यमान अधिकतम सीमा तक भत्ते को सीमित करने के बाद अधिक भुगतान का निर्धारण करने हेतु स्वयं ही समीक्षा नहीं की गई थी। 1 अप्रैल 1986 से पहले मकान किराया भत्ते का विनियमन करने वाले आदेश क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के पास उपलब्ध नहीं बताये गये थे।

(ii) **उत्पादकता से जुड़े बोनस का अधिक भुगतान:** उत्पादकता से जुड़े बोनस का परिकलन, वित्तीय वर्ष में अर्जित कुल मजदूरी का 365 से भाग देकर, प्रत्येक कर्मचारी की एक दिन की औसत मजदूरी निकालने के बाद किया जाना चाहिये। संगठन द्वारा यह प्रणाली 1988-89 में नहीं अपनाई गई थी परिणामस्वरुप कर्मचारियों को 0.40 लाख रु के बोनस का अधिक भुगतान हुआ, जो कि विद्यमान आदेशों के अन्तर्गत अधिकतम ग्राहय से कम बोनस के हकदार थे। किये गये अधिक भुगतान की

दिसम्बर 1991 के वेतन देयकों से वसूली कर ली गई थी। तथापि,ऐसे सभी मामलों की समीक्षा नहीं की तथा अधिक भुगतानों का परिकलन और वसूली नहीं की गई थी (अप्रैल 1992)।

28 सारांश

31 मार्च 1991 को 96.03 करोड़ रु और 131.98 करोड़ रुपये की भविष्य निधि अंशदान की राशि, क्रमशः गैर छूट प्राप्त और छूटप्राप्त प्रतिष्ठानों से बकाये में थी। 3.27 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार की राशि, भुगतान न कर रहे प्रतिष्ठानों से देय थी। 10.88 करोड़ रुपये और 3.50 करोड़ रुपये क्रमशः परिवार पेंशन योजना और कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा निधि नियोक्ताओं से देय थे। इसके अतिरिक्त, संगठन द्वारा, 31 मार्च 1991 तक 17826 मामलों में दातव्यों का निर्धारण करना था।

31 मार्च 1991 को 32403 राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों में शामिल 112.57 करोड़ रु. की राशि विभिन्न जिला प्राधिकारियों के पास लम्बित थी।

चार क्षेत्रों में विलम्बित भुगतानों पर हानियों के उदग्रहण में विलम्ब, एक से पच्चीस वर्ष और उसमें अधिक के बीच था। 48.34 करोड़ रुपये की हानि की राशि,गैर छूट प्राप्त चूककर्ता प्रतिष्ठानों से 31 मार्च 1991 तक वसूल की जानी थी।

तीन क्षेत्रों में 806 मामलों में विधि न्यायलय में, भुगतान न कर रहे प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियोगपक्ष मामले दर्ज करने में विलम्ब, 15 महीने तक अथवा अधिक था।

3429 मामलों में नमूना जांच में निवेश लेखे में क्रेडिट प्रदान करने में एक से 25 दिन के बीच के विलम्ब के परिणामस्वरुप संगठन को अप्रैल से जून 1989 तक 19.99 लाख रुपये की राशि के ब्याज की हानि हूई। 1989-90 और 1990-91 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई ने भारतीय रिर्जव बैंक में प्रतिदिन निधियों का अन्तरण नहीं किया था, परिणामतः 1.17 करोड़ रुपये के ब्याज की राशि की हानि हुई। 1990-91 के दौरान गैर छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित 49.67 करोड़ रुपये की राशि न्यासी बोर्ड के पास अनिवेशित पड़ी थी।

जहां तक 66365 भविष्य निधि दावे, 31 मार्च 1991 तक परिशोधन के लिए लम्बित थे, उनमें से कुछ एक वर्ष से अधिक के थे। 1985-91 के दौरान,केवल 51 से 65 प्रतिशत दावे, 20 दिन की निर्धारित अवधि के अन्दर समाशोधित हुए थे। परिवार पेंशन मामलों और कर्मचारी निक्षेप से जुड़े बीमा मामलों के परिशोधन में भी इसी प्रकार के विलम्ब ध्यान में आए थे।

विशेष आरक्षित निधि में से भुगतान की गई 403.68 लाख रुपये की राशि, 31 मार्च 1991 तक कर्मचारियों से वसूली जानी थी। इस तारीख को 75.59 करोड़ रुपये की राशि संगठन के पास दावे किए बगैर पड़ी थी।

संगठन द्वारा अर्जित किया गया 2998.45 करोड़ रुपये का ब्याज, 31 मार्च 1991 तक, ब्याज उचन्त लेखे के अन्तर्गत पड़ा था जो कि सदस्यों को वार्षिक लेखे बंद करते समय वितरित करना अपेक्षित था। जहां तक 117.33 लाख लेखों और 28.89 लाख लेखों के वार्षिक विवरण क्रमशः गैर छूट प्राप्त और छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को 31 मार्च 1991 तक जारी किए जाने शेष थे।

अपने भवनों के निर्माण के लिए संगठन द्वारा कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया था। भाड़े पर लिए गए कार्यालय भवनों के किराये पर व्यय, 1985-86 में 141.48 लाख रुपये से 1990-91 में 303.84 लाख रुपये हो गया था।

संगठन को प्रतिष्ठानों के आवृतन के लिए सर्वेक्षणों को तीव्र करने की आवश्यकता है और किए गए सर्वेक्षणों का समुचित रुप से अनुवर्तन अनुपालन करना चाहिए ताकि सभी प्रतिष्ठान जो कि आवृत होने चाहिए,को उन योजनाओं के कार्यक्षेत्र के अन्दर लाया गया है जो कि कर्मचारियों के संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा हेतु बनाई गई है। संगठन को कर्मचारियों से दातव्यों के शीघ्र निर्धारण के लिए अपनी प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाना चाहिए और वसूली के लिए तंत्र की कार्यप्रणाली को सुधारना चाहिए।

संगठन और इसके बैंकर के बीच अन्तरपृष्ठ को सरल एवं कारगर बनाने की आवश्यकता है ताकि संगठन की निधियां, इसके खाते में शीघ्रता से क्रेडिट हो जांए और समय गंवाए बिना निवेशित हो जांए।

कर्मचारियों के कल्याण के लिए योजनाओं के प्रबन्ध हेतु स्थापित संगठन के रुप में इसको अपनी सेवाओं की, विशेषतया दावों के परिशोधन, लेखों के अन्तरण,कर्मचारियों के लेखों में ब्याज क्रेडिट करने और लेखों के वार्षिक विवरण जारी करने के मामले में,अपनी गुणवत्ता को सुधारना चाहिए।

परिवार पेंशन योजना के अंशदान लेखे में संचय, 1985-86 के प्रारम्भ में 1219.33 करोड़ रुपये से 1990-91 के अन्त तक 4223.30 करोड़ रु. तक बढ़ गया था। कर्मचारी निक्षेप से जुड़े बीमा अंशदान और योजना के प्रशासन लेखे का संचित शेष, 1985-86 के प्रारम्भ से मार्च 1991 के अन्त तक क्रमशः 264.76 करोड़ रुपये से 744.66 करोड़ रुपये अर्थात् 281 प्रतिशत और 57.58 करोड़ रुपये से 166.52 करोड़ रुपये अर्थात् 190 प्रतिशत तक बढ़ गया था। इस विषय में योजनाओं को सरकारी सहायता तथा उसकी मात्रा की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

बीरेन्द्र प्रसाद माथुर

नई दिल्ली:
दिनांक:
19 सितम्बर SEP 1992

(बीरेन्द्र प्रसाद माथुर)
महानिदेशक लेखापरीक्षा,
केन्द्रीय राजस्व-I

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

नई दिल्ली:
दिनांक:
14 सितम्बर SEP 1992

(सि. जि. सोमैया)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
47	6 से 8 (नीचे से)	मंत्रालय ने बताया कि..... विस्तृत सूचना नहीं है।	इसे हटा हुआ माना जाये